



The Uttarakhand Hills Consolidation of Holdings and Land Reforms Act, 2016

Act No. 21 of 2016

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार 07 अक्टूबर, 2016 ई०

आश्विन 15, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 277 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2016

देहरादून, 07 अक्टूबर, 2016

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जोत चकबन्दी एवं भूमि व्यवस्था विधेयक, 2016 को दिनांक 30 सितम्बर, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 21, सन 2016 के रूप में सर्व-साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जोत चकबन्दी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 2016
{उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या. 21 वर्ष 2016}

पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि की अपेक्षाकृत उत्पादकता में वृद्धि किये जाने, कृषि को व्यापक स्वरूप दिये जाने तथा इस प्रक्रिया में स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि किये जाने निमित्त उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि सम्बंधी जोतों की चकबन्दी की व्यवस्था किये जाने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के 67वें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित।

अध्याय एक

प्रारम्भिक और परिभाषाएँ

- संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ 1 (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जोत चकबन्दी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 2016 है।
- (2) इसका प्रसार जिला हरिद्वार व उद्यम सिंह नगर को छोड़कर तथा देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल एवं चंपावत जिलों के मैदानी क्षेत्रों को छोड़कर समस्त पर्वतीय क्षेत्रों में होगा।
- (3) यह धारा तुरन्त प्रवृत्त होगी और शेष अधिनियम ऐसी तारीख से, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, प्रवृत्त होगा और विभिन्न तारीखें उत्तराखण्ड के विभिन्न भागों के लिए नियत की जा सकेंगी।
- परिभाषाएँ 2 विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में—
- (1) (क) "राज्य सरकार" से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;
- (ख) "भूमि" से ऐसी भूमि अभिप्रेत है, जो किसी के अधिकार या अध्यासन में कृषि, उद्यानकरण तथा पशुपालन (जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्द्धन और कुक्कुट पालन भी है) से सम्बद्ध प्रयोजनों के लिए हों और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं—
- (एक) जोत का वह भाग, जो मकान या अन्य समरूप रचना का स्थल हो, और
- (दो) ऐसे पेड़, कुएं और अन्य समुन्नतियाँ जो उन गाटों में हों, जिनसे मिलकर जोत बनी हों;
- (तीन) ऐसे गैर जमींदारी विनाश भूमि जो खातेदारों की स्वामित्व की हो एवं चकबन्दी योजना के लिए आवश्यक हो।
- (ग) "कटक" से ऐसे गाँव या उसके भाग से है, और यदि चकबन्दी संचालक सरकारी गजट में प्रकाशन द्वारा यह अधिसूचित करे तो, ऐसे दो या अधिक गाँव अथवा उनके भागों से है जिसके या जिनके लिए चकबन्दी की एक ही योजना बनानी है
- (घ) "जोत" का तात्पर्य भूमि के ऐसे भाग अथवा भागों से है, जो किसी खातेदार द्वारा

अकेले अथवा अन्य खातेदारों के साथ संयुक्त रूप में एक खाते के अधीन अधिकृत हों;
स्पष्टीकरण—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए जोत के अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं है—

(एक) वह भूमि जिसमें बाढ़ का पानी आया करता हो तथा जिसमें अत्यधिक कटाव होता हो;

(दो) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 132 में उल्लिखित भूमि;

(तीन) ऐसे संहत क्षेत्र जो सामान्यतः दीर्घकाल तक जलप्लावित रहते हों;

(चार) ऐसे अन्य क्षेत्र जिन्हें चकबन्दी संचालक, चकबन्दी के प्रयोजन के लिए अनुपयुक्त प्रख्यापित करे।

(पांच) ऐसा क्षेत्र जो चकबन्दी कार्य प्रारम्भ होने की अधिसूचना के उपरान्त उपसंचालक चकबन्दी द्वारा व्यावसायिक क्षेत्र के रूप में चिन्हित व अधिसूचित की जाय।

(2) (क) "चकबन्दी" का तात्पर्य एक कटक के जोतों की विभिन्न खातेदारों के बीच इस प्रकार पुनर्व्यवस्था करने से है जिससे कि उनके अपने-अपने खाते अधिक संहत हो जायें;

(ख) "चकबन्दी-योजना" का तात्पर्य किसी कटक में चकबन्दी की योजना से है;

(ग) "चकबन्दी क्षेत्र" का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जिसके लिए धारा 3 के अधीन अधिसूचना जारी की जा चुकी हो, किन्तु इसमें इसके वे भाग सम्मिलित न होंगे जिन पर 1950 के जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1950) या किसी अन्य विधि जिसके द्वारा जमींदारी प्रणाली समाप्त कर दी गयी हो के उपबन्ध लागू न हो;

(घ) "चकबन्दी समिति" से उस समिति अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियत रीति से संगठित की जाए;

(ङ) "चकबन्दी अभिलेख" से चकबन्दी या स्वैच्छिक चकबन्दी की क्रिया के दौरान बनाये जाने वाले नकशों, पंजीकाओं, आकार पत्रों व नोटिसों आदि अभिप्रेत है, जो यथा सम्भव डिजिटल स्वरूप में भी रखे जायेंगे;

(च) "चक" से चकबन्दी होने पर खातेदार को प्रदिष्ट भूमि के खण्ड अभिप्रेत है।

(छ) "स्वैच्छिक चकबन्दी" से अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अधीन आपसी विनिमय, दान एवं उपहार से होने वाली चकबन्दी से होगा।

(3) (क) "चकबन्दी-लेखपाल" से ऐसे व्यक्ति से है, जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अथवा तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन चकबन्दी लेखपाल के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए इस स्थिति में नियुक्त करे तथा चकबन्दी-क्रियाओं के अधीन क्षेत्रों में उ०प्र० भू-राजस्व अधिनियम, 1901 के अधीन नियुक्त लेखपाल भी इसके अन्तर्गत आते हैं।

(ख) "चकबन्दीकर्ता" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अथवा तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन चकबन्दीकर्ता के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए, इस स्थिति में, नियुक्त करे और इसके अन्तर्गत समकोण तथा चकबन्दी-क्रियाओं के अधीन क्षेत्रों में उ० प्र० भू-राजस्व अधिनियम, 1901 के अधीन उक्त क्षेत्र के लिए नियुक्त सुपरवाइजर कानूनगो भी है।

(ग) "सहायक चकबन्दी अधिकारी" से ऐसे व्यक्ति से है जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अथवा तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन सहायक चकबन्दी अधिकारी के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए इस स्थिति में नियुक्त करे और इसके अन्तर्गत सहायक समकोणीय अधिकारी भी है।

(घ) "चकबन्दी अधिकारी" से ऐसे व्यक्ति से है जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम अथवा तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन चकबन्दी अधिकारी के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए इस स्थिति में नियुक्त करे और इसके अन्तर्गत समकोण अधिकारी भी है;

(ङ.) बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी" से ऐसे व्यक्ति से है, जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अथवा तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए इस स्थिति में, नियुक्त करे तथा अतिरिक्त बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी एवं सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी भी इसके अन्तर्गत हैं;

(च) उप-संचालक चकबन्दी" से ऐसे व्यक्ति से है जिसे राज्य सरकार चकबन्दी संचालक के ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए, इस स्थिति में, नियुक्त करे जो उसे राज्य सरकार द्वारा सौंपे जायें तथा जिला उप-संचालक चकबन्दी और सहायक संचालक चकबन्दी भी इसके अन्तर्गत है;

(छ) "जिला उप-संचालक चकबन्दी" से उस व्यक्ति से है जो तत्समय जिले का कलेक्टर हो;

(ज) "चकबन्दी संचालक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अथवा तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन चकबन्दी-संचालक के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए इस स्थिति में नियुक्त करे और अतिरिक्त चकबन्दी संचालक तथा संयुक्त चकबन्दी संचालक भी इसके अन्तर्गत हैं;

(4) "नियत" से इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से हैं;

(5) "विधिक प्रतिनिधि" का वही अर्थ है जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में दिया गया है।

(6) किसी लेख्य के सम्बन्ध में "कटक के प्रकाशन" या "कटक में प्रकाशित करना" का तात्पर्य डुग्गी पीटकर पूर्व सूचित दिनांक पर किसी कटक में उस लेख्य को पढ़कर सुनाने तथा कटक में डुग्गी पीटकर अथवा अन्य किसी रुढ़िगत ढंग से इस तथ्य की घोषणा करने से है कि किसी निश्चित स्थान तथा समय पर वह लेख्य सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। इसमें इन्टरनेट पर प्रकाशन सम्मिलित है;

परन्तु यह कि यदि कटक के लिए चकबन्दी-समिति संगठित हो गयी हो तो

उक्त समिति के प्रत्येक सदस्य को प्रकाशन के तथ्य की अलग-अलग सूचना भी दी जायेगी।

- (7) "समकोण निर्माण" से चकबन्दी के समय चकों के प्रदर्शन को विनियमित करने के उद्देश्य से कटक के क्षेत्र को सुविधाजनक आकार के समकोण चतुर्भुज तथा अन्य सुविधाजनक आकार में विभाजित करने की प्रक्रिया अभिप्रेत है;
- (8) "खातेदार" से अन्तरणीय अधिकार वाले भूमिधर अथवा अनन्तरणीय अधिकार वाले भूमिधर से है और उसके अन्तर्गत-

(क) असामी,

(ख) सरकारी पट्टेदार या सरकारी अनुदानगृहीता, या

(ग) सहकारी कृषि समिति जो ऐसी शर्तों को पूरा करती हो, जो नियत की जायें, भी है;

- (9) "चकबन्दी अभिलेखों का प्रकाशन" से चकबन्दी योजना के दौरान प्रख्यापित किये जाने वाले विभिन्न चकबन्दी अभिलेखों के प्रकाशन से है। इसमें डिजिटल स्वरूप में तैयार किये गये अभिलेखों का इन्टरनेट पर प्रकाशन भी सम्मिलित है।

- (10) उन शब्दों और पदों के-

(क) जिनकी इस अधिनियम में परिभाषा नहीं दी गई है किन्तु जो उ० प्र० भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 3 सन् 1901) में प्रयुक्त अथवा परिभाषित है, अथवा

(ख) जो इस अधिनियम में अथवा उ० प्र० भू-राजस्व अधिनियम, 1901 में परिभाषित नहीं है किन्तु जो 1950 ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में प्रयुक्त अथवा परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके उस एक्ट में दिये गये हैं जिनमें वे इस प्रकार प्रयुक्त या परिभाषित हैं,

वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम में दिये गये हैं जिनमें वे इस प्रकार प्रयुक्त या परिभाषित हैं, और

- (11) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उ० प्र० अधिनियम संख्या 1 सन् 1951)(उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त संशोधित) तथा यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 (यू० पी० ऐक्ट संख्या 3, 1901)(उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के सम्बन्ध में अभिदेश समय-समय पर यथासंशोधित उक्त अधिनियम के सम्बन्ध में अभिदेश समझे जायेंगे।

अध्याय दो

नक्शों और अभिलेखों का पुनरीक्षण तथा संशोधन

चकबन्दी के सम्बन्ध में 3
प्रख्यापन तथा
अधिसूचना

- (1) (क) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि कोई जिला, ग्राम या उसका भाग चकबन्दी-क्रियाओं या स्वैच्छिक चकबन्दी के अधीन लाया जाय, तो वह गजट में इस आशय का प्रख्यापन कर सकती है। तदुपरान्त किसी अधिकारी या प्राधिकारी के लिए जो जिला उप-संचालक चकबन्दी द्वारा तदर्थ अधिकृत किये जायें, यह विधिसंगत होगा

कि वह—

(एक) उक्त क्षेत्र की किसी भूमि में, समकोण निर्माण के सम्बन्ध में या अन्यथा प्रवेश करे तथा उसका सर्वेक्षण करे और स्तर मालूम करे,

(दो) समकोण—निर्माण के सम्बन्ध में खम्भे लगाये, और

(तीन) चकबन्दी—क्रियाओं के लिए क्षेत्र की उपयुक्तता का निश्चय करने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही करे।

(ख) जिला उप—संचालक चकबन्दी खण्ड (क) के अधीन जारी किये गये प्रख्यापन की सार्वजनिक सूचना उक्त जिले या उसके भाग में सुविधापूर्ण स्थानों पर दिलवायेगा।

(2) (क) जब राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन जारी किये गये प्रख्यापन के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में चकबन्दी—क्रियाएं, आरम्भ करने का निश्चय करे, तो वह इस आशय की अधिसूचना जारी कर सकती है।

(ख) प्रत्येक ऐसी अधिसूचना गजट में और ऐसी किसी दैनिक समाचार—पत्र में जिसका उक्त क्षेत्र में प्रचलन हो प्रकाशित की जायेगी और उक्त क्षेत्र में प्रत्येक कटक में ऐसी रीति से भी प्रकाशित की जायेगी जैसी समुचित समझी जाय।

(3) (क) जहाँ राज्य सरकार की यह राय हो कि किसी ऐसे जिले या उसके भाग की स्थिति में जिसके सम्बन्ध में धारा 37 के अधीन अधिसूचना जारी की जा चुकी है, लोकहित में ऐसा करना समीचीन है वहाँ वह गजट में अधिसूचना द्वारा यह प्रख्यापित कर सकती है कि ऐसा जिला या उसका भाग फिर से चकबन्दी—क्रिया के अन्तर्गत लाया जा सकता है :

परन्तु यह कि उक्त धारा में निर्दिष्ट अधिसूचना के दिनांक से बीस वर्ष के भीतर ऐसी कोई घोषणा जारी नहीं की जायेगी, किन्तु विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार लोकहित में उक्त दिनांक से दस वर्ष के बाद ऐसी घोषणा जारी कर सकेगी।

(ख) उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी प्रत्येक अधिसूचना पर इस अधिनियम के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे धारा 3 के अधीन किसी अधिसूचना पर लागू होते हैं।

धारा 3(2) के अधीन 4
अधिसूचना का प्रभाव

(1) सरकारी गजट में धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन, अधिसूचना प्रकाशित होने पर उसमें निर्दिष्ट दिनांक से तथा धारा 37 के अधीन अथवा धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन, जैसी भी दशा हो, अधिसूचना प्रकाशित होने तक धारा 3 (2) के अधीन अधिसूचना, से सम्बद्ध क्षेत्र में, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित परिणाम उत्पन्न होंगे—

(क) जिला, गांव अथवा उसका भाग, जैसी भी दशा हो, चकबन्दी—क्रियाओं के अन्तर्गत समझा जायेगा और अधिकार—अभिलेख का रख—रखाव तथा प्रत्येक गाँव के नक्शे, खसरे और वार्षिक रजिस्टर की तैयारी का कार्य जिला उप—संचालक चकबन्दी करेगा, जो कि उनका रख—रखाव अथवा उनकी तैयारी, जैसी भी दशा हो, नियत रीति से करेगा;

(ख) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 1 सन् 1951) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी की लिखित पूर्व प्राप्त आज्ञा के बिना कोई खातेदार- कृषि, उद्यानकरण अथवा पशुपालन, जिसमें मत्स्य संवर्द्धन तथा कुक्कुट पालन भी सम्मिलित है, से असम्बद्ध प्रयोजन के लिए अपनी जोत अथवा उसके किसी भाग का उपयोग नहीं करेगा,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि खातेदार अपनी जोत अथवा उसके किसी भाग का उपयोग ऐसे प्रयोजनों के लिए कर सकता है, जिसके लिए धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन, जारी की गई अधिसूचना में निर्दिष्ट दिनांक से पहले वह उपयोग में लाया जा रहा था।

(2) धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना के उक्त प्रकाशन के फलस्वरूप अधिसूचना से सम्बद्ध क्षेत्र में निम्नलिखित और परिणाम होंगे, अर्थात्-

(क) अभिलेखों के संशोधन की प्रत्येक कार्यवाही का तथा उस क्षेत्र में स्थित किसी भूमि में अधिकारी या स्वत्व के प्रख्यापन के सम्बन्ध में प्रत्येक बाद और कार्यवाही का अथवा ऐसे किसी अन्य अधिकार के जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही की जा सकती हो या की जानी चाहिए, प्रख्यापन या निर्णय के लिए प्रत्येक वाद या कार्यवाही का, जो प्रारम्भिक अथवा अपील या अभिदेश सुनने वाले अथवा पुनरीक्षण करने वाले किसी प्राधिकारी अथवा न्यायालय के समक्ष विचारधीन हो, उस न्यायालय अथवा प्राधिकारी द्वारा जिसके समक्ष ऐसा वाद या कार्यवाही विचारधीन हो, तदर्थ आदेश देने पर उपशमित हो जायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसा आदेश सम्बद्ध पक्षों को डाक से अथवा अन्य किसी रीति से नोटिस दिये बिना और उसको सुनवाई का अवसर दिये बिना नहीं दिया जाएगा:

प्रतिबंध यह भी है कि उक्त क्षेत्र अथवा उसके भाग के सम्बन्ध में धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी किये जाने पर, यथास्थिति, ऐसे क्षेत्र या उसके भाग में स्थित भूमि के सम्बन्ध में प्रत्येक ऐसा आदेश रद्द हो जायेगा;

(ख) ऐसे उपशमन से, उक्त वादों अथवा कार्यवाहियों में विवादास्पद अधिकारों अथवा स्वत्वों के प्रश्नों की, इस अधिनियम तथा तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन तथा उनके अनुसार प्रभावित व्यक्तियों के समुचित चकबन्दी प्राधिकारियों के समक्ष उठाने के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

स्पष्टीकरण- उपधारा, (2) के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960(उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की अधीन कोई कार्यवाही या उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 134 से 137 के अधीन निर्विरोध कार्यवाही को किसी भूमि में अधिकार या स्वत्व की घोषणा के सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं समझा जायेगा।

प्रचारित अधिसूचना का रद्द करना

उसमें निर्दिष्ट समस्त क्षेत्र अथवा उसके किसी एक भाग के सम्बन्ध में रद्द कर दे।

(2) जब उपधारा (1) के अधीन किसी कटक के सम्बन्ध में अधिसूचना, रद्द कर दी जाये, तो वह क्षेत्र, यदि कोई हो, उक्त रद्द करने के दिनांक पर या उससे पहले तथा भूमि-अभिलेखों में संशोधन से सम्बद्ध, कोई अन्तिम आज्ञा हो, तो उसके अधीन रहते हुए, रद्द करने के दिनांक से चकबन्दी-क्रियाओं के अधीन न रह जायेगा।

निर्विवाद उत्तराधिकार या अन्तरण के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध

(1) धारा 3 की उपधारा (2) या धारा 3(क) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् और धारा 8 के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व उत्तराधिकार के निर्विवाद मामले को चकबन्दीकर्ता द्वारा, और अन्तरण के आधार पर निर्विवाद नामान्तरण के मामले को सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा, ऐसी रीति से और ऐसी जांच के पश्चात्, जैसी विहित की जाये, निपटाया जायेगा;

परन्तु यह कि धारा 8 के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने के पश्चात् इस धारा के अधीन किसी मामले को न तो ग्रहण किया जायेगा, न ही जारी रखा जायेगा या न ही निपटाया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया कोई आदेश, धारा 9 के अधीन किसी आपत्ति को वर्जित नहीं करेगा।

धारा 6के सम्बन्ध में उपबन्ध

धारा 6 के अन्तर्गत अन्तरण के निस्तारण की आज्ञा के पश्चात् में विवाद की स्थिति में बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) द्वारा पारित आदेश निरस्त कर धारा 9 के अन्तर्गत निस्तारण हेतु प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

गाँव के नक्शों का पुनरीक्षण

कटक के प्रत्येक गाँव अथवा उसके भागों के अभिलेखों के पुनरीक्षण को सरल बनाने के विचार से तथा यहाँ आगे दिये हुए उपबन्धों के अधीन रहते हुए जिला उप-संचालक चकबन्दी कटक की प्रारम्भिक चकबन्दी-योजना तैयार होने के पूर्व उस कटक के गाँव के नक्शों का पुनरीक्षण करवायेगा।

अभिलेखों के पुनरीक्षण की प्रक्रिया में आधुनिक तकनीकी से डिजिटल नक्शे व अभिलेख तैयार किये जायेंगे, इसमें यह ध्यान रखा जायेगा कि विद्यमान नक्शों का मिलान भी डिजिटल नक्शों से हो जाय।

खसरा तथा चालू वार्षिक रजिस्टर का पुनरीक्षण, संयुक्त जोतों के मूल्यों और अंशों का अवधारण

(1) धारा 7 के अधीन नक्शों का पुनरीक्षण हो जाने पर जिला उप-संचालक चकबन्दी आगे दिये हुए उपबन्धों के अधीन रहते हुए, और ऐसी रीति से, जो नियत की जाय-

(एक) कटक के खसरों का, पड़ताल के पश्चात् और चालू वार्षिक रजिस्टर का, उसके परीक्षण तथा उसकी जाँच के पश्चात्, पुनरीक्षण करवायेगा।

(दो) चकबन्दी-समिति के परामर्श से मूल्यों का निर्धारण-

(क) प्रत्येक गाटे का मूल्यांकन, उसकी उत्पादन-शक्ति और स्थिति पर, और यदि सिंचाई की कोई सुविधाएं उपलब्ध हों, तो उन पर भी विचार करने के पश्चात् करायेगा; और

(ख) गाटों के सभी पेड़ों, कुओं तथा अन्य उपस्थित समुन्नतियों का मूल्यांकन, उनका प्रतिकर आंकलित करने के प्रयोजनार्थ करायेगा;

(तीन) यदि एक से अधिक स्वामी हों तो खण्ड (दो) के उपखण्ड (ख) के अधीन अवधारित मूल्य से प्रत्येक स्वामी का अंश निश्चित करवायेगा; और

(चार) उचित चकबन्दी सुनिश्चित करने के निमित्त विभाजन करने के लिए संयुक्त जोतों में प्रत्येक खातेदार का अंश अवधारित करायेगा।

(पांच) नक्शों के पुनरीक्षण के दौरान प्राप्त क्षेत्रफल व अभिलेखों के अन्तर की शुद्धि हेतु त्रुटियाँ दर्शित की जायेगी।

(2) जिला उप-संचालक, चकबन्दी, कटक के अन्तर्गत आने वाले गाटों के सम्बन्ध में नियत आकार में खसरा चकबन्दी तैयार करवायेगा और एक ऐसा विवरण तैयार करवायेगा जिसमें वे अशुद्धियाँ (उत्तराधिकार के निर्विवाद मामले) तथा विवाद दिखाये जायेंगे जो वार्षिक रजिस्टर का परीक्षण तथा उसकी जाँच करते समय और खेतवार पड़ताल के दौरान में ज्ञात हुए हों।

सिद्धान्तों का विवरण 8क तैयार करना

(1) सहायक चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दी समिति के परामर्श से चकबन्दी-क्रियाओं के अधीन प्रत्येक कटक के सम्बन्ध में एक विवरण (जिसे यहाँ आगे सिद्धान्तों का विवरण कहा गया है) नियत आकार में तैयार करेगा जिसमें वे सिद्धान्त दिये गये होंगे जिनका अनुसरण कटक में चकबन्दी-क्रियाओं के करने में किया जायेगा।

(2) सिद्धान्तों के विवरण में निम्नलिखित बातें भी होंगी-

(क) उन क्षेत्रों के ब्यौरे, जहाँ तक वे उस समय अवधारित किये जा सकें, जो आबादी के प्रसार, जिसके अन्तर्गत कटक के हरिजनों तथा भूमिहीन व्यक्तियों की आबादी के लिए क्षेत्र भी हैं तथा ऐसे अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए, जो नियत किये जाएं, विनिर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ख) वह आधार, जिस पर खातेदार आबादी के प्रसार और अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि देंगे; और

(ग) उस भूमि के ब्यौरे, जो राज्य की भूमि हो व राज्य की पूर्वानुमति में चकबन्दी योजना में सम्मिलित की जानी उचित हो।

(घ) प्रत्येक कटक के लिए मानक गाटा।

(3) सहायक चकबन्दी अधिकारी गाटा या गाटों की उत्पादकता, अवस्थिति और वर्तमान मिट्टी की श्रेणी को ध्यान में रखते हुए, चकबन्दी-समिति के सदस्यों और कटक के खातेदारों से कटक के सर्वोत्तम गाटों का अभिनिश्चय करके उपधारा (2) के खंड (घ) में निर्दिष्ट मानक गाटों का अवधारणा करेगा।

(4) स्वैच्छिक चकबन्दी के लिये अधिसूचित क्षेत्रों में अतिरिक्त सिद्धान्त सम्मिलित किये जायेंगे।

अभिलेखों तथा विवरणों से उद्धरण जारी करना और धारा 8 तथा 8क में उल्लिखित

(1) धारा 8 तथा 8क में उल्लिखित अभिलेखों तथा विवरणों के तैयार हो जाने पर, सहायक चकबन्दी अधिकारी-

(क) यदि कोई लिपिकीय अशुद्धियाँ हों, तो उन्हें सही करेगा और सम्बद्ध खातेदारों तथा

अभिलेखों को प्रकाशित करना और आपत्तियाँ आमंत्रित करने के लिए नोटिस जारी करना

स्वत्व रखने वाले अन्य व्यक्तियों को नोटिस भेजेगा या भिजवायेगा, जिनमें चालू वार्षिक रजिस्टर और अन्य ऐसे अभिलेखों के, जो नियत किये जायें, सम्बद्ध उद्धरण हों और जिसे निम्नलिखित बातें प्रकट हों—

(एक) उनके भूमि में अधिकार और उसके सम्बन्ध में दायित्व;

(दो) उनके सम्बन्ध में धारा 8 के अन्तर्गत पायी गयी अशुद्धियाँ उत्तराधिकार के निर्विवाद मामले और विवाद;

(तीन) उचित चकबन्दी सुनिश्चित करने के निमित्त विभाजन आवश्यक होने पर उसके प्रयोजनार्थ संयुक्त जोतों में प्रत्येक खातेदार का विशिष्ट अंश;

(चार) गाटों का मूल्यांकन; और

(पांच) पेड़ों, कुओं और अन्य समुन्नतियों का प्रतिकर आंकलित करने के लिए उनका मूल्यांकन तथा यदि उनके एक से अधिक स्वामी हों तो उसका अभिभाजन;

(ख) चालू खसरा और चालू वार्षिक रजिस्टर, खसरा चकबन्दी धारा 8-क के अधीन तैयार किया गया सिद्धान्तों का विवरण तथा कोई अन्य अभिलेख, जो अन्य बातों के साथ-साथ खण्ड (क) में उल्लिखित अन्य ब्यौरे दिखाने के लिए नियत किये जायें, कटक में प्रकाशित करेगा।

(2) कोई व्यक्ति जिसे उपधारा (1) के अधीन नोटिस भेजा गया हो, या स्वत्व रखने वाला कोई अन्य व्यक्ति, यथास्थिति नोटिस प्राप्त होने के या उपधारा (1) के उद्धरणों के अधीन प्रकाशन के 21 दिन के भीतर सहायक चकबन्दी अधिकारी के समक्ष आपत्तियाँ प्रस्तुत कर सकता है, जिनमें अभिलेखों या उसमें से लिये गये उद्धरणों के इन्द्राजों की शुद्धता अथवा उनके प्रकार के सम्बन्ध में, या सिद्धान्तों के विवरण के सम्बन्ध में या विभाजन की आवश्यकता के सम्बन्ध में आपत्ति की गई हो।

भूमि पर दावों तथा संयुक्त जोतों के विभाजन से सम्बन्धित मामलों का निस्तारण

(1) सहायक चकबन्दी अधिकारी, उस दशा में—

(एक) जब भूमि पर दावों या संयुक्त जोतों के विभाजन के सम्बन्ध में आपत्तियाँ प्रस्तुत की गई हों, तो सम्बद्ध पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात् और

(दो) जब ऐसी कोई आपत्तियाँ प्रस्तुत न की गयी हों, तो ऐसी जाँच करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे,

अपने समक्ष उपस्थित होने वाले पक्षों में समझौता करा कर, जहाँ तक सम्भव हो, विवाद का निपटारा करेगा, अशुद्धियों को ठीक करेगा तथा विभाजन करेगा और ऐसे समझौते के आधार पर आज्ञाएँ पारित करेगा;

परन्तु यह कि जहाँ सहायक चकबन्दी अधिकारी का, ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसा वह आवश्यक समझे, यह समाधान हो जाये कि उत्तराधिकार का मामला निर्विवाद है, वहाँ वह मामले का निस्तारण उसी जाँच के आधार पर करेगा।

(2) वे सभी मामले जो उपधारा (1) के अधीन सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा निस्तारित न किये गये हों, तथा गाटों के मूल्यांकन से सम्बद्ध सभी मामलों और वे सभी मामले,

जिनका सम्बन्ध पेड़ों, कुओं, तथा अन्य समुन्नतियों का प्रतिकार आंकलित करने के लिये उनके मूल्यांकन तथा यदि एक से अधिक स्वामी हों तो उसको सह-स्वामियों में अभिभाजन करने से हो, नकशों के पुनरीक्षण के दौरान प्राप्त क्षेत्रफल व अभिलेखों के अन्तर की शुद्धि हेतु दर्शित त्रुटियाँ; सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा, चकबन्दी अधिकारी को भेजे जायें, जो उनका निस्तारण नियत रीति से करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन कार्य करता हुआ सहायक चकबन्दी अधिकारी और उपधारा (2) के अधीन कार्य करता हुआ चकबन्दी अधिकारी तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी विपरीत बात के होते हुए भी सक्षम न्यायालय माना जायेगा।

सिद्धान्तों के विवरण 9ख
पर की गई आपत्तियों
का निस्तारण—

(1) जब धारा 9 के अधीन सिद्धान्तों के विवरण के विरुद्ध आपत्तियाँ प्रस्तुत की गई हों तो सहायक चकबन्दी अधिकारी सम्बद्ध पक्षों को सुनवाई का अवसर देने और चकबन्दी समिति के दृष्टिकोण पर विचार करने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट चकबन्दी अधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जो आपत्तियों का निस्तारण नियत रीति से करेगा।

(2) यदि सिद्धान्तों के विवरण के विरुद्ध धारा 9 में नियत समय के भीतर कोई आपत्ति प्रस्तुत न की गयी हो, तो उसकी शुद्धता की परीक्षा करने की दृष्टि से चकबन्दी अधिकारी चकबन्दी-समिति को उचित सूचना देने के पश्चात् कटक का स्थलीय निरीक्षण करेगा और तत्पश्चात् वह सिद्धान्तों के विवरण में ऐसे बहिष्कार या परिवर्तन कर सकता है जो वह आवश्यक समझे।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन चकबन्दी अधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, उक्त आज्ञा के दिनांक से 21 दिन के भीतर बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है, जिसका निर्णय इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन की गई अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा।

(4) आपत्ति या अपील पर निर्णय देने से पहले चकबन्दी अधिकारी तथा बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, सम्बद्ध पक्षों तथा चकबन्दी समिति को सम्यक् सूचना देने के पश्चात् कटक का स्थानीय निरीक्षण करेगा।

संयुक्त जोतों का 9ग
विभाजन

(1) सहायक चकबन्दी अधिकारी चकबन्दी अधिकारी, धारा 9-क के अधीन संयुक्त जोतों का विभाजन कर सकते हैं भले ही 1950 ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा 178 में या किसी अन्य विधि में कोई विपरीत बात दी गई हो, और वे उसका विभाजन स्वतः भी कर सकते हैं।

(2) संयुक्त जोतों का विभाजन अंशों के आधार पर किया जायेगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि सम्बद्ध खातेदार सहमत हों तो विभाजन विशिष्ट गाटों के आधार पर किया जा सकता है।

पुनरीक्षित वार्षिक 10
रजिस्टर तैयार करना
और रखना

(1) वार्षिक रजिस्टर धारा 9-क की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन दी गई आज्ञाओं के आधार पर पुनरीक्षित किया जायेगा। तत्पश्चात् वह नियत आकार में तैयार किया जायेगा तथा कटक में प्रकाशित किया जायेगा।

(2) जब उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित वार्षिक रजिस्टर के किसी इन्द्राज का, इस

अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन दी गयी आज्ञा के अनुसरण में, परिष्कार किया जाये तो उस आज्ञा का निर्देश और उसके प्रवर्ती भाग का उद्धरण उक्त इन्दाज के सामने दर्ज किया जायेगा।

- अपील 11 (1) धारा 9—क के अधीन होने वाली कार्यवाहियों का कोई पक्ष, जो उस धारा के अधीन सहायक चकबन्दी अधिकारी या चकबन्दी अधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध हो, उस आज्ञा के दिनांक से 21 दिन के भीतर बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। उक्त अधिकारी सम्बद्ध पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस पर अपना निर्णय देगा, जो कि इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन की गई अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा और उस पर किसी विधि-न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकेगी।
- (2) उपधारा (1) के अधीन अपील की सुनवाई करने वाला बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय समझा जायेगा, भले ही तत्समय प्रचलित अन्य किसी विधि में कोई विपरीत बातें दी हों।

आपत्तियों पर रोक 11क चकबन्दी क्षेत्र से सम्बन्धित निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में—

(एक) भूमि के दावे,

(दो) संयुक्त जोतों का विभाजन, और

(तीन) यदि प्रश्न धारा 10 के अधीन वार्षिक रजिस्टर में अभिलिखित गाटे के खातेदार या पेड़ों, कुओं या अन्य समुन्नतियों के स्वामी द्वारा उठाया जाय, तो गाटों, पेड़ों, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों का मूल्यांकन।

किसी भी ऐसे प्रश्न को, जो धारा 9 के अधीन उठाया गया हो या जो उक्त धारा के अधीन उठाया जा सकता था या उठाया जाना चाहिए था, परन्तु उठाया नहीं गया हो, चकबन्दी कार्यवाहियों की किसी वाद की अवस्था में न तो उठाया जायेगा और न उसकी सुनवाई की जायेगी।

- 11 ख धारा 9—क के अधीन किसी आपत्ति या धारा 11 के अधीन अपील अथवा धारा 33 के अधीन पुनरीक्षण कार्यवाहियों की सुनवाई के दौरान चकबन्दी अधिकारी, बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) अथवा चकबन्दी निदेशक, जैसी भी दशा हो, यह निर्देश दे सकता है कि कोई भूमि जो राज्य सरकार या गाँव सभा अथवा किसी अन्य स्थानीय निकाय या प्राधिकरण में निहित हो, उसके नाम से अभिलिखित की जाय, भले ही ऐसी सरकार, गाँव सभा, या निकाय या प्राधिकरण द्वारा कोई आपत्ति, अपील या पुनरीक्षण दाखिल न किया गया हो।

- पुनरीक्षित अभिलेखों में 12 (1) धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित पुनरीक्षित अभिलेखों में अभिलिखित किन्हीं अधिकारों या स्वत्वों को प्रभावित करने वाले परिवर्तनों तथा व्यवहारों से सम्बद्ध समस्त मामले, जिनके लिए वादकरण तब विद्यमान नहीं था, जब धारा 7 से 9 तक के समक्ष उठाये जा सकते हैं, किन्तु धारा 37 अथवा धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् नहीं।

- निर्णय (2) यदि उपधारा (1) के अधीन कोई मामला उठाया जाय तो उसकी सुनवाई तथा निर्णय पर धारा 7 से 11 तक के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित, उसी प्रकार लागू होंगे मानों वह उपर्युक्त धाराओं के अधीन उठाया गया मामला हो।
- नई जोतों की 12क (1) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 में किसी बात के होते मालगुजारी का अवधारण तथा जोतों के भाग पर मालगुजारी का वितरण अवधारण का वितरण
- (1) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 में किसी बात के होते हुए भी, बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) इस सम्बन्ध में निर्मित नियमों के अधीन रहते हुए—
- (क) इस अधिनियम के अधीन पारित आदेशों के फलस्वरूप खातेदार द्वारा अर्जित भूमि के अधिकारों के निमित्त देय मालगुजारी की धनराशि अवधारित कर सकता है; तथा
- (ख) जहाँ आवश्यक हो वहाँ खातेदार की जोत के भाग के निमित्त देय मालगुजारी भी अवधारित कर सकता है।
- (2) उपधारा (1) के अधीन देय मालगुजारी की धनराशि अवधारित करने में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 तथा तदन्तर्गत निर्मित नियमावली के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।
- जोतों का सम्मेलन 12 ख धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन पुनरीक्षित वार्षिक रजिस्टर के प्रकाशित होने के पूर्व दो या अधिक खातेदार किसी भी समय चकबन्दी अधिकारी को समान भौमिक अधिकारों वाली अपनी जोतों को ऐसी शर्तों पर, जो आपस में तय हो, सम्मेलित करने के निमित्त प्रार्थना-पत्र दे सकते हैं। यदि प्रस्तावित सम्मेलन चकबन्दी के हित में हो, तो चकबन्दी अधिकारी उसे कार्यान्वित करेगा।

अध्याय तीन

चकबन्दी योजना का तैयार किया जाना

- चकबन्दी-योजना द्वारा शर्तों का पूरा किया जाना 13 (1) चकबन्दी-योजना निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेगी, अर्थात्—
- (क) इस अधिनियम के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए दिये गये अंशदानों के कारण की गई कटौतियाँ, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए, खातेदार के अधिकार तथा दायित्व, जैसे कि वे धारा 10 के अधीन तैयार किये गये वार्षिक रजिस्टर में अभिलिखित हों, उसे (खातेदार को) प्रदिष्ट भूमियों में सुरक्षित रहें;
- (ख) इस अधिनियम के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए दिये गये अंशदानों के कारण की गई कटौतियाँ, यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए, खातेदार को प्रदिष्ट गाटों का मूल्यांकन उसके द्वारा मूलतः धृत गाटों के मूल्यांकन के बराबर हो;
- (ग) इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबंधों के अधीन अवधारित प्रतिकर निम्नवत् दिया जाए—
- (1) खातेदार को—
- (एक) उन पेड़ों, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों के लिए, जो उसके द्वारा मूलतः धृत थे और जो दूसरे खातेदार को प्रदिष्ट कर दिये गये हों, और

(दो) सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उसके द्वारा दी गयी भूमि के लिए;

(2) यथास्थिति, गाँव सभा या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी को विकास के लिए, यदि कोई हो, जो उसने उस भूमि पर की हो, जो उसकी हो और किसी खातेदार को प्रदिष्ट कर दी गई हो;

(घ) सिद्धान्तों के विवरण में दिये गये सिद्धान्तों का अनुसरण किया जाए;

(ङ.) प्रत्येक खातेदार को, यथासम्भव, उस स्थान पर जहाँ उसके पास अपनी जोत का सबसे बड़ा भाग हो, संहत क्षेत्र प्रदिष्ट किया जाए;

परन्तु यह कि बन्दोबस्त अधिकारी(चकबन्दी) के लिखित अनुमोदन के बिना किसी खातेदार को तीन से अधिक चक प्रदिष्ट नहीं किये जा सकते :

परन्तु यह और कि की गई कोई भी चकबन्दी केवल इसलिए अवैध न मानी जायगी कि किसी खातेदार के पास प्रदिष्ट चक तीन से अधिक है;

(च) प्रत्येक खातेदार को, यथासम्भव, वह गाटा प्रदिष्ट किया जाए, जिसमें उसका सिंचाई का निजी साधन अथवा कोई अन्य समुन्नति विद्यमान हो और साथ में उसके निकट का ऐसा क्षेत्र प्रदिष्ट किया जाए, जिसका मूल्यांकन लगभग उतना ही हो, जिना कि वहाँ पर उसके द्वारा मूलतः धृत गाटों का था; और

(छ) प्रत्येक खातेदार को, यथासम्भव, समकोण निर्माण कटकों में समकोण निर्माण की प्रक्रिया के अनुकूल चक प्रदिष्ट किये जायें।

(ज) स्वैच्छिक चकबन्दी के सिद्धान्तों का अनुसरण किया जायेगा एवं धारा 13, 16 व धारा 19 के अनुरूप स्वैच्छिक चकबन्दी के लिए निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

(2) कोई भी चकबन्दी-योजना, धारा 16 के अधीन उसे अन्तिम रूप दिये जाने के पूर्व धारा 13 के उपबंधों के अनुसार प्रारम्भिक रूप से तैयार की जाएगी।

सहायक चकबन्दी 13 क
अधिकारी द्वारा
प्रारम्भिक
चकबन्दी-योजना का
तैयार किया जाना

(1) सहायक चकबन्दी अधिकारी चकबन्दी-समिति के परामर्श से, नियत आकार में, कटक के लिए प्रारम्भिक चकबन्दी-योजना तैयार करेगा।

(2) इस अधिनियम में या उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1951) या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, सहायक चकबन्दी अधिकारी के लिए, जहाँ उसकी राय में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हो, विधिसंगत होगा कि वह मूल्यांकन करने के पश्चात् कोई भूमि जो राज्य सरकार की हो या कोई भी भूमि, जो 1950 ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा 117 या 117-क के अधीन जारी की गई अधिसूचना के फलस्वरूप गाँव सभा या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी में निहित हो, किसी भी खातेदार को प्रदिष्ट करे,

परन्तु यह कि यदि ऐसी कोई भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए प्रयुक्त की जाती हो, तो वह भूमि सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा लिखित रूप में यह प्रख्यापन करने के पश्चात् ही प्रदिष्ट की जाएगी, कि सार्वजनिक तथा समस्त व्यक्ति-विशेषों के

उस भूमि में या उस पर अधिकारों को किसी अन्य भूमि में जो प्रख्यापन में निर्दिष्ट हो और जो उक्त प्रयोजन के लिए प्रारम्भिक चकबन्दी-योजना में विनिर्दिष्ट हो, संक्रमित करने का प्रस्ताव है।

प्रारम्भिक
चकबन्दी-योजना का
प्रकाशित किया जाना
और उसके सम्बन्ध में
आपत्तियाँ प्राप्त करना

14

- (1) प्रारम्भिक चकबन्दी-योजना के तैयार हो जाने पर, सहायक चकबन्दी अधिकारी, सम्बद्ध खातेदारों और स्वत्व रखने वाले व्यक्तियों को नोटिस भेजेगा या भिजवायेगा, जिनमें उक्त योजना से लिए गये सम्बद्ध उद्धरण दिये होंगे। तत्पश्चात् प्रारम्भिक चकबन्दी-योजना कटक में प्रकाशित की जाएगी।
- (2) धारा 11-क में दिये गये उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति, जिसे उपधारा (1) के अधीन नोटिस भेजा गया हो, और प्रारम्भिक चकबन्दी-योजना से प्रभावित कोई अन्य व्यक्ति, जो प्रारम्भिक चकबन्दी-योजना के इन्द्राजों या उससे लिये गये उद्धरणों के औचित्य या शुद्धता पर आपत्ति करे, यथास्थिति नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से या प्रारम्भिक चकबन्दी-योजना के प्रकाशन के दिनांक से 45 दिन के भीतर सहायक चकबन्दी अधिकारी या चकबन्दी अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।
- (3) कोई भी प्रभावित व्यक्ति अथवा कोई ऐसा व्यक्ति जिसे किसी सार्वजनिक भूमि में या उस पर सार्वजनिक मार्ग के अधिकार के अतिरिक्त कोई स्वत्व या अधिकार प्राप्त हों, या ऐसा अन्य स्वत्व या अधिकार प्राप्त हो जिस पर धारा 13-क की उपधारा (2) के अधीन किये गये प्रख्यापन से स्वतः प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, प्रारम्भिक चकबन्दी-योजना के प्रकाशित होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर सहायक चकबन्दी अधिकारी या चकबन्दी अधिकारी के समक्ष, यह बताते हुए, आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है कि उक्त स्वत्व या अधिकार किस प्रकार का है।

प्रारम्भिक
चकबन्दी-योजना पर
की गयी आपत्तियों का
निस्तारण

15

- (1) सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा प्राप्त समस्त आपत्तियाँ तदर्थ नियत कालावधि की समाप्ति के पश्चात् उसके द्वारा चकबन्दी अधिकारी के पास भेज दी जाएगी जो कि एतदपश्चात् व्यवस्थित रीति से सम्बद्ध पक्षों तथा चकबन्दी-समिति को नोटिस देने के पश्चात् उन्हें और साथ-ही-साथ अपने को प्राप्त आपत्तियों को भी निस्तारित करेगा।
- (2) कोई भी व्यक्ति, जो उपधारा (1) के अधीन चकबन्दी अधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध हो, आज्ञा के दिनांक से 45 दिन के भीतर बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है, जिसका इस सम्बन्ध में निर्णय, सिवाय उस दशा में जबकि अधिनियम द्वारा अथवा इस अधिनियम में, अन्यथा व्यवस्था हो, अन्तिम होगा।
- (3) आपत्तियाँ निर्णीत करने से पहले चकबन्दी अधिकारी सम्बद्ध पक्षों तथा चकबन्दी-समिति को नोटिस देने के पश्चात् विवादग्रस्त गाटों का स्थानीय निरीक्षण करेगा तथा बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) भी अपील निर्णीत करने से पहले ऐसा कर सकता है।
- (4) यदि किसी आपत्ति के निस्तारण अथवा अपील की सुनवाई के दौरान में, यथास्थिति, चकबन्दी अधिकारी या बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) की यह राय हो कि, यथास्थिति, सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा तैयार की गई या बाद में चकबन्दी अधिकारी द्वारा परिष्कृत की गई प्रारम्भिक चकबन्दी-योजना के कार्यान्वयन से बहुत से खातेदारों के साथ सारतः अन्याय होने की सम्भावना है, और प्रारम्भिक चकबन्दी-योजना का

पुनरीक्षण किये बिना अथवा नई प्रारम्भिक चकबन्दी-योजना के कार्यान्वयन से बहुत से खातेदारों के साथ सारतः अन्याय होने की सम्भावना है, और प्रारम्भिक चकबन्दी-योजना का पुनरीक्षण किये बिना अथवा नई प्रारम्भिक चकबन्दी-योजना तैयार किये बिना कटकों के खातेदारों को भूमि का ठीक और उचित प्रदेशन सम्भव नहीं है, तो उन कारणों से, जिन्हें अभिलिखित किया जाएगा-

(एक) चकबन्दी अधिकारी के लिए यह वैध होगा कि वह सम्बद्ध खातेदारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् प्रारम्भिक चकबन्दी-योजना का पुनरीक्षण करे अथवा उसे ऐसे निर्देशों सहित, जिन्हें चकबन्दी अधिकारी आवश्यक समझे, सहायक चकबन्दी अधिकारी को वापस कर दे, और

(दो) बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के लिए यह वैध होगा कि वह सम्बद्ध खातेदारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् प्रारम्भिक चकबन्दी योजना का पुनरीक्षण करे अथवा उसे सहायक चकबन्दी अधिकारी या चकबन्दी अधिकारी को, जैसा बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) उचित समझे, ऐसे निर्देशों के साथ वापस कर दे, जिन्हें वह आवश्यक समझे।

प्रारम्भिक चकबन्दी 16
योजना की पुष्टी तथा
प्रदेशन आज्ञाओं का
जारी किया जाना

(1) बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) प्रारम्भिक चकबन्दी योजना की पुष्टि करेगा-

(क) यदि धारा 14 में निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियाँ प्रस्तुत न की गई हों; या

(ख) यदि उक्त आपत्तियाँ प्रस्तुत की गई हों, तो ऐसे परिष्कारों या परिवर्तनों के पश्चात् जो धारा 15 की उपधारा (1) से (4) तक के अधीन दी गयी आज्ञाओं की दृष्टि में रखते हुए आवश्यक हो।

(2) इस प्रकार पुष्टिकृत प्रारम्भिक चकबन्दी-योजना कटक में प्रकाशित की जायगी तथा इस अधिनियम में अथवा इसके अधीन की गई अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुए अन्तिम होगी।

(3) (एक) यदि धारा 13(1) के अधीन किये गये प्रदेशनों को धारा 15 के अधीन परिष्कृत न किया जाय और धारा 16 के अधीन उनकी पुष्टि कर दी जाय, तो धारा 14 के अधीन जारी की गयी नोटिस में दिये गये उद्धरणों को सम्बद्ध खातेदारों के लिए इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुए अन्तिम समझा जाएगा।

(दो) खण्ड (एक) के अधीन न आने वाले मामलों में पुनरीक्षित उद्धरण जिनमें उपधारा (1) के अधीन यथा पुष्टिकृत परिष्कृत प्रदेशन उल्लिखित होंगे-

(क) यदि प्रदेशन बंदोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) द्वारा परिष्कृत न किये गये हों, तो चकबन्दी अधिकारी द्वारा, और

(ख) यदि बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) ने प्रदेशनों का परिष्कार किया हो, तो उनके द्वारा जारी किये जायेंगे,

और वे सम्बद्ध खातेदारों के लिए इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन

अन्यथा की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुए, अन्तिम प्रदेशन आज़ाएं होंगी।

- (4) धारा 13 में स्वैच्छिक चकबन्दी की प्रारम्भिक योजना तैयार हो जाने के उपरान्त चकबन्दी अधिकारी या ऐसा अन्य समकक्ष अधिकारी, जो इसके लिए उप संचालक चकबन्दी द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, प्रारम्भिक योजना के अनुरूप एक भूमिधर की भूमि का दूसरे भूमिधर की भूमि से विनिमय की अनुज्ञा जारी करेगा। इसक अतिरिक्त वह एक खातेदार द्वारा दूसरे खातेदार को दिये जाने वाले दान या उपहार को भी दर्ज करेगा। यदि कोई खातेदार सार्वजनिक उपयोग के लिए दान या उपहार स्वरूप भूमि देना चाहता है तो उसे तदनुसार दर्ज करेगा। विनिमय की ऐसी सभी अनुज्ञायें तथा दान व उपहार के सभी मामलों में आदेश दर्ज हो जाने के उपरान्त स्वैच्छिक चकबन्दी योजना को अन्तिम रूप दिया जायेगा।

अध्याय चार

योजना का लागू किया जाना

कब्जा करने और पेड़ों 17
आदि के लिए प्रतिकर
का दायित्व

- (1) बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) वह दिनांक निश्चित करेगा जो कटक में अधिसूचित होगा, तथा जिस दिनांक से अन्तिम चकबन्दी योजना प्रचलित होगी, उक्त दिनांक को अथवा उसके पश्चात् खातेदारों को प्रदिष्ट गाटों पर कब्जा करने का अधिकार होगा।
- (2) अन्तिम के कार्यान्वयन के अनुसरण में उसकी प्रदिष्ट गाटों में स्थित पेड़ों, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों को पाने वाला प्रत्येक खातेदार कब्जा पाने के दिनांक से उसके भूतपूर्व खातेदार को पेड़ों, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों के लिए, जो उसे प्रदिष्ट की गयी हों, वहाँ पूर्व-व्यवस्थित रीति से अवधारित प्रतिकर का देनदार होगा और देगा।

नये माल-अभिलेख 18

- (1) अन्तिम चकबन्दी योजना के प्रचलित होने के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र जिला उप-संचालक, चकबन्दी, धारा 7 के अधीन यथासंशोधित नक्शों, खसरा-चकबन्दी तथा धारा 10 के अधीन तैयार किये गये वार्षिक रजिस्टर के इन्द्राजों और इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अन्तिम रूप से दी गई तथा जारी की गयी प्रदेशन-आज्ञाओं के आधार पर प्रत्येक गाँव के लिए चकबन्दी-क्षेत्र का नया नक्शा, खसरा तथा अधिकार-अभिलेख तैयार कराएगा। उक्त नक्शों और अभिलेखों को तैयार करने में उ० प्र० भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (उ० प्र० अधिनियम सं० 3 सन् 1901) के उपबंधों का ऐसे परिष्कारों तथा परिवर्तनों के अधीन रहते हुए, जो नियत किये जाएं, अनुसरण किया जाएगा।
- (2) उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार तैयार किये गये अधिकार-अभिलेखों की सभी प्रविष्टियाँ ठीक मानी जायेंगी जब तक उनके विरुद्ध प्रमाणित न कर दिया जाए।
- (3) धारा 37 (क)के अधीन अधिसूचना जारी होने के पश्चात् कलेक्टर अपने द्वारा पहले से रखा जाने वाला नक्शा, खसरा तथा अधिकार-अभिलेख के स्थान पर उपधारा (1) के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया नक्शा, खसरा तथा अधिकार-अभिलेख रखेगा और उ० प्र० भू-राजस्व अधिनियम, 1901 के उपबन्ध ऐसे नक्शों, खसरा और अधिकार-अभिलेख के रखे जाने और शुद्ध किये जाने के सम्बन्ध में यथावश्यक

परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

कब्जा दिलाना

19

- (1) सहायक चकबन्दी अधिकारी, ऐसे खातेदार या भूमि प्रबन्धक समिति के प्रार्थना-पत्र पर, जिसे अन्तिम चकबन्दी योजना के अन्तर्गत चक या भूमियाँ प्रदिष्ट की गई हो और जहाँ कोई भूमि राज्य सरकार को प्रदिष्ट की गयी हो, वहाँ राज्य सरकार के किसी प्रार्थना-पत्र के बिना उस दिनांक से, जब उक्त योजना प्रचलित हुई हो, छह मास के भीतर, यथास्थिति, खातेदार या भूमि प्रबन्धक समिति या राज्य सरकार को प्रदिष्ट चक या भूमि का वास्तविक कब्जा दिलायेगा। और ऐसा करने में उसे वे सभी अधिकार, जिनमें अवमान, प्रतिरोध तथा ऐसी अन्य बातों के सम्बन्ध में अधिकार भी हैं, प्राप्त होंगे जिनका प्रयोग अचल सम्पत्ति पर कब्जा दिलाने की डिक्री के निष्पादन में दीवानी न्यायालय कर सकते हैं;

परन्तु यह कि जब तक कि सहायक चकबन्दी अधिकारी उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायें यह निर्णय न करे कि फसल पर भी कब्जा दिलाया जायेगा, उपर्युक्त प्रकार से कब्जे का दिलाया जाना उक्त व्यक्ति के, जिससे कब्जा संवमित किया गया हो, कब्जा दिलाने के दिनांक पर उक्त चक या भूमियों या उनके भाग पर खड़ी फसलों को पालने-पोसने और उन्हें एकत्र करने के अधिकार पर प्रभाव न पड़ेगा;

परन्तु यह और कि जब कोई व्यक्ति प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अनुसार खड़ी फसलों का पालन-पोषण करे तथा उसे एकत्र करे तो वह उस व्यक्ति को जिसे चक या भूमियाँ प्रदिष्ट की गई हों, भूमि के प्रयोग के लिए ऐसी दर पर और ऐसी रीति से प्रतिकर देगा, जो नियत की जाए।

- (2) जिस दिनांक को खातेदार या भूमि प्रबन्धक समिति, या राज्य सरकार, प्रदिष्ट चक या भूमियों पर कब्जा करने की हकदार हो गई हो, चाहे उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, 1962 के प्रचलित होने के पूर्व हो या उसके पश्चात् उसके छः महीने समाप्त हो जाने पर या उक्त अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक से छः महीने समाप्त हो जाने पर, जो भी दिनांक बाद में पड़े, यथास्थिति, खातेदार या भूमि प्रबन्धक समिति या राज्य सरकार सम्बन्ध में, जब तक कब्जा पहले से ही न कर लिया गया हो, यह समझा जायेगा कि उसने प्रदिष्ट चक या भूमियों पर वास्तविक रूप से कब्जा कर लिया है:

परन्तु यह कि यह तथ्य कि खातेदार या भूमि प्रबन्धक समिति या राज्य सरकार ने इस प्रकार कब्जा कर लिया है और उस व्यक्ति के, जिससे कब्जा संवमित किया गया समझा जाए, उपर्युक्त छः महीने की अवधि समाप्त हो जाने के दिनांक को ऐसे चक या भूमियाँ अथवा उसके भाग पर खड़ी फसल को पालने-पोसने और उसे एकत्र करने के अधिकार पर प्रभाव न डालेगा।

प्रतिकर

20.

- (1) यदि धारा 19 के अधीन खड़ी फसलों पर भी कब्जा दिलाया जाय, तो सहायक चकबन्दी अधिकारी उस भूमि के खातेदार द्वारा, जिसे कब्जा दिलाया गया हो, ऐसी फसलों के सम्बन्ध में देय प्रतिकर को नियत रीति से अवधारित करेगा।

- (2) उपधारा (1) के अधीन आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, आज्ञा के दिनांक से 15 दिन भीतर, चकबन्दी अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है जिस पर उसका निर्णय अन्तिम होगा।
- प्रतिकर की वसूली 20क (1) जब कोई खातेदार, जिससे इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर की वसूली होना हो तदर्थ नियत अवधि के भीतर प्रतिकर न दे, तो उसके पाने का अधिकारी व्यक्ति वसूली के लिए उसे उपलब्ध अन्य किसी साधन के साथ-साथ कलेक्टर को ऐसी अवधि के भीतर, जो नियत को जाय, इस आशय का प्रार्थना-पत्र दे सकता है कि उसकी ओर से प्राप्त धनराशि सरकार को देय मालगुजारी की बकाया की भाँति वसूल की जाए।
- (2) यदि इस अधिनियम के अधीन देय प्रतिकर धारा 17 अथवा धारा 19 के अधीन जैसी भी स्थिति हो, कब्जा पाने, के दिनांक से तीन महीने के भीतर पूर्णतः या अंशतः अदा न किया गया हो, तो ऐसी धनराशि पर, जो इस प्रकार अदा की गई हो, छःप्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लिया जायेगा।
- सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त भूमि दिये जाने के कारण मालगुजारी में कमी 20-ख (1) यदि धारा 8-क के उपबन्धों के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त अंशदान में भूमि दिये जाने के फलस्वरूप खातेदार की मूल जोत का क्षेत्रफल कम हो जाय, तो उक्त जोत के लिए देय मालगुजारी, सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा उस अनुपात में कम कर दी जायेगी जो अंशदान के रूप में दिये गये क्षेत्र का उक्त जोत के कुछ क्षेत्रफल से हो और कम हुई मालगुजारी प्रारम्भिक चकबन्दी-योजना में दिखाई जायेगी।
- (2) उपधारा (1) के अधीन की गई कमी से क्षुब्ध कोई खातेदार धारा 14 के अधीन प्रारम्भिक चकबन्दी-योजना के प्रकाशन के दिनांक से 45 दिन के भीतर 1950 ई० के जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार मालगुजारी में कमी अवधारित किये जाने के लिए सहायक चकबन्दी अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।
- सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त खातेदार द्वारा दी गयी भूमि के लिए प्रतिकर 20ग (1)(क) प्रत्येक खातेदार को, जिसकी जोत का कोई भाग इस अधिनियम के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए दिया गया हो, इस प्रकार दी गई भूमि के लिए प्रतिकर दिया जायेगा जो धारा 29-क के अधीन कम की गई मालगुजारी का—
- (एक) अंतरणीय अधिकार वाले भूमिधर, की भूमि के विषय में चार गुना; और
- (दो) अनन्तरणीय अधिकार वाले भूमिधर, की भूमि के विषय में दो गुना होगा।
- (ख) इस प्रकार दी गयी भूमि के भीतर पड़ने वाले पेड़ों, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों के विषय में प्रतिकर की धनराशि धारा 13 के उपबन्धों के अनुसार अवधारित की जायेगी।
- (2) किसी खातेदार को देय प्रतिकर का भुगतान, इस अधिनियम के अधीन क्रिया-सम्बन्धी व्यय को, यदि कोई हो, काटने के पश्चात् नकदी में किया जायेगा।
- (3) जब कोई भूमि, जिसके सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर का भुगतान किया जाय, किसी आसामी के कब्जे में हो, तो यथास्थिति अंतरणीय अधिकार वाले

भूमिधर अथवा अनंतरणीय अधिकार वाले भूमिधर, को देय प्रतिकर में से उसका 5 प्रतिशत असामी को, उस भूमि में उसके अधिकार, आगम तथा स्वत्व के सम्बन्ध में दिया जायेगा।

सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त दी गई भूमि का निहित होना 20-घ (1) इस अधिनियम के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त दी गई भूमि, जिसमें खातेदारों द्वारा दान या उपहार में दी गयी भूमि सम्मिलित है, उस दिनांक से जब खातेदार समय-समय पर यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उन्हें प्रदिष्ट चकों पर कब्जा करने के हकदार हुए हों, किसी ऐसे क्षेत्र में जिसमें उ० प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 117 लागू होती हो गाँव सभा में, और किसी अन्य क्षेत्र में राज्य सरकार में निहित होगी और सदैव निहित हुई समझी जायगी और उस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होगी, जिसके लिए वह अन्तिम चकबन्दी-योजना होगी, जो नियत किये जायें।

(2) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उ० प्र० अधिनियम सं० 1 सन् 1951) धारा 117 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ गाँव सभा में निहित, ऐसी भूमि पर लागू होंगे मानों कि ऐसी भूमि उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन राज्य-सरकार द्वारा की गई घोषणा के आधार पर गाँव सभा में निहित हो गई थी और मानों कि घोषणा इस धारा की उपधारा (1) में निर्दिष्ट उपयोगिता की शर्तों के अधीन रहते हुए की गई थी।

वे परिणाम जो कब्जा बदलने पर होंगे 21

उस दिनांक से जब इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कोई खातेदार अपने को प्रदिष्ट चक पर, कब्जा करता है या जिसके सम्बन्ध में यह समझा जाये कि कब्जा कर लिया है; निम्नलिखित परिणाम होंगे—

(क) निम्नलिखित के अधिकार, आगम, स्वत्व और दायित्व अपनी-अपनी मूल जोतों में समाप्त हो जायेंगे—

(एक) वह खातेदार, जो कब्जा करे या जिसके सम्बन्ध में यह समझा जाय कि उसने कब्जा कर लिया है, और

(दो) चक में सम्मिलित गाटों का पूर्ववर्ती खातेदार; और

(ख) उस खातेदार के, जो कब्जा करे या जिसके सम्बन्ध में यह समझा जाय कि कब्जा कर लिया है, अपने चक में वही अधिकार, आगम, स्वत्व और दायित्व होंगे जो उसकी अपनी मूल जोत में थे और उसे ऐसे निजी स्रोत से, जब तक कि वह स्रोत विद्यमान रहे, सिंचाई की वह अन्य सुविधाएं भी प्राप्त रहेंगी, जो चक में सम्मिलित गाटों के पूर्ववर्ती खातेदार को उन गाटों के सम्बन्ध में प्राप्त थीं;

(ग) उन भूमियों के सम्बन्ध में जो गाँव सभा या किसी स्थानीय प्राधिकारी में निहित हों और जो खातेदार को प्रदिष्ट की गयी हों, यह समझा जाएगा कि वे राज्य-सरकार द्वारा के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की, यथास्थिति, धारा 117 या धारा 117-क के उपबन्धों के अधीन वापस ले ली गयी है और उनका बन्दोबस्त खातेदार के साथ सकर दिया गया है;

(घ) धारा 13-क की उपधारा (2) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन किये गये प्रख्यापन के बाद, चक में सम्मिलित भूमि में या भूमि पर जन-साधारण तथा सभी व्यक्ति-विशेषों के अधिकार समाप्त हो जायेंगे और वे अन्तिम चकबन्दी-योजना में इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट भूमि में सृजित हो जायेंगे; और

(ड.) उस खातेदार की; जो कब्जा करे या जिसके सम्बन्ध में यह समझा जाए कि उसने कब्जा कर लिया है, मूल जोत उप भार, यदि कोई हो, चाहे वह पट्टा, बन्धक या अन्य किसी रूप में हो, उस जोत के सम्बन्ध में समाप्त हो जायगा और वह उन जोतों पर या उनके ऐसे भागों पर हो जायेगा जो अन्तिम चकबन्दी-योजना में उसे निर्दिष्ट किया जाए।

खाता संक्रमित करने का अधिकार 22.

उ० प्र० भू-राजस्व अधिनियम, 1901 और 1950 ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में किसी बात के होत हुए भी, खातेदारों का अपनी जोतों में अधिकार, आगम, स्वत्व और दायित्वों का ऐसा संक्रमण, चाहे वह विनिमय द्वारा हो या अन्य प्रकार से, जो उन्हें प्रभावित करने वाली अन्तिम चकबन्दी-योजना के कार्यान्वयन में अन्तर्ग्रस्त हो, वैध होगा और किसी खातेदार या अन्य व्यक्ति को ऐसे संक्रमण पर आपत्ति करने अथवा उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार न होगा।

व्यय

23

- (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन संचालित क्रियाओं का व्यय की रकम निश्चित करेगी और कटक के खातेदार से उसका ऐसा भाग और ऐसी रीति से वसूल करेगी जो नियत की जाय।
- (2) यदि राज्य सरकार निर्णय करे, तो वह आज्ञा दे सकती है कि उक्त क्रियाओं के व्यय की प्रथम किश्त के रूप में कोई निर्दिष्ट धनराशि नियत रीति से अग्रिम वसूल की जाए।
- (3) इस धारा के अधीन व्यय, देय धनराशि मालगुजारी की बकाया की भांति वसूल की जाएगी।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

साक्षियों को उपस्थित कराने तथा अन्य विषयों के अधिकार 24.

निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में चकबन्दी संचालक, उप-संचालक चकबन्दी, बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), चकबन्दी-अधिकारी और सहायक चकबन्दी अधिकारी को ऐसे सब अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, जो किसी व्यवहार में निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में दीवानी न्यायालय को प्राप्त हैं—

(क) साक्षियों को उपस्थित कराना और उनको शपथ देकर, प्रतिज्ञान कराने या अन्य प्रकार से उनके बयान लेना और विदेशस्थ साक्षियों का बयान लेने के लिए कमीशन या निवदेन-पत्र जारी करना;

(ख) किसी को कोई लेख्य प्रस्तुत करने को बाध्य करना;

(ग) उपमान के लिए लोगों को दण्ड देना और किसी भी व्यवहार में साक्षियों को

उपस्थित और लेख्यों को प्रस्तुत कराने के लिए दीवानी-न्यायालय द्वारा जारी किये जा सकने वाले किसी भी प्रसर के स्थान पर ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ सम्मन भेजा जा सकता है और वह उक्त प्रसर के बराबर ही समझा जायेगा।

लेख्य इत्यादि प्रस्तुत कराने का अधिकार 25

(1) नियत किये जाने वाले प्रतिबन्धों या निरोधों को बाधित न करते हुए चकबन्दी संचालक, उप-संचालक चकबन्दी, बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), चकबन्दी अधिकारी या सहायक चकबन्दी अधिकारी लिखित आज्ञा द्वारा किसी व्यक्ति को आदेश दे सकते हैं कि वह ऐसे लेख्य, पत्र और रजिस्टर प्रस्तुत करे या ऐसी सूचना दे जिसे वे इस अधिनियम के अधीन अपने अधिकारों का उचित प्रयोग या कर्तव्यों का उचित पालन करने के लिए आवश्यक समझे।

(2) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में, जिसे इस धारा के अधीन कोई लेख्य, पत्र या रजिस्टर प्रस्तुत करने या कोई सूचना देने का आदेश दिया गया हो, यह समझा जायेगा कि वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 175 एवं 176 के अर्थ में विधितः ऐसा करने को बाध्य है।

चकबन्दी संचालक, उप संचालक चकबन्दी, बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), चकबन्दी अधिकारी तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी के सामने कार्यवाहियों का न्यायिक कार्यवाही माना जाना 26

किसी चकबन्दी संचालक, उप-संचालक चकबन्दी, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, चकबन्दी अधिकारी तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी के सामने होने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थ में और धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही है।

चकबन्दी प्राधिकारियों शक्तियां 26क

चकबन्दी प्राधिकारियों को सी0आर0 पी0 सी0 की धारा 1 से 11 के बीच समाहित शक्तियों के अनुरूप मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदत्त होगी।

26 ख

धोखा के आधार पर आदेश को चुनौती- यदि चकबन्दी न्यायालय या उसके समक्ष विचाराधीन किसी वाद या कार्यवाही के पक्षकार को धोखा देकर कोई आदेश पारित करा लिया जाता है तो ऐसे आदेश को यह कहकर चुनौती दी जा सकती है कि प्रश्नगत आदेश न्यायालय या पक्षकार को धोखा देकर कराया गया है, लेकिन इस प्रकार की कार्यवाही में किसी पक्षकार द्वारा किये गये धोखे को साबित करने के लिए सुसंगत साक्ष्य को प्रस्तुत करना जरूरी है केवल सम्भावना के आधार पर धोखे की दलील पर विश्वास नहीं किया जा सकता।

26ग

धोखा या भ्रान्त कथन के आधार पर पारित आदेश चकबन्दी न्यायालय स्वयं अपास्त करने का अधिकार - यदि कोई व्यक्ति न्यायालय को धोखा देकर या भ्रान्त कथन के आधार पर कोई आदेश पारित करवा लेता है तो न्यायालय सही तथ्यों की जानकारी होने पर इस प्रकार पारित आदेश को स्वयं या किसी क्षुब्ध व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर अपास्त कर सकता है। ऐसे मामलों में चकबन्दी प्राधिकारी सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 151 के अधीन

			व्यवस्थित अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। धोखा देकर पारित कराये गये आदेश को अपास्त कराने के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने के लिए कोई परिसीमा नियत नहीं की गई है। कोई भीह क्षुब्ध व्यक्ति भले ही वह संबंधित कार्यवाही में पक्षकार न हो, ऐसे आदेश से अवगत होने पर समुचित समय के अन्दर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर सकता है।
उ० प्र० भू-राजस्व अधिनियम, 1901 का लागू किया जाना	27		जब तक कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्य प्रकार की स्पष्ट व्यवस्था न की गई हो, उ० प्र० भू-राजस्व अधिनियम, 1901 के अध्याय नौ तथा दस के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन सब कार्यवाहियों पर लागू होंगे, जिनके अन्तर्गत अपील और आवेदन-पत्र भी हैं।
शपथ-पत्र	27क		इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में, जिसके अन्तर्गत कोई अपील या पुनरीक्षण भी है, प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र उसी रीति से और उन्हीं अपेक्षाओं के अनुरूप दिये जायेंगे जैसे कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन कोई शपथ-पत्र दिया जाता है और उसका सत्यापन उक्त संहिता की धारा 139 के खण्ड (ख) के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा अथवा खण्ड (ग) के अधीन किसी अन्य न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।
अधिकारी प्राधिकारी	और 28		(1) राज्य-सरकार ऐसे क्षेत्रों में ऐसे प्राधिकारी तथा अधिकारी नियुक्त कर सकती है, जो इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों। (2) जिला उप-संचालक चकबन्दी ऐसे निर्देशों के अधीन रहते हुए, जो समय-समय पर चकबन्दी-संचालक द्वारा जारी किये जाएं, चकबन्दी-लेखपालों, चकबन्दीकर्ताओं तथा उपधारा (1) के अधीन जिले के लिए नियुक्त अन्य प्राधिकारियों के क्षेत्रों का परिच्छेदन कर सकता है।
लिपिक तथा गणना सम्बन्धी भूलों की शुद्धि	28क		तत्समय प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी यदि चकबन्दी अधिकारी अथवा बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) को यह संतोष हो जाय कि इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन तैयार किये गये किसी लेख्य में कोई लिपिक या गणना सम्बन्धी भूल प्रत्यक्ष है, तो वह या तो स्वतः या स्वत्व रखने वाले किसी व्यक्ति के प्रार्थनापत्र पर उसको शुद्ध कर देगा।
प्रतिनिधायन	29		राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा और अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जाने वाले निरोधों और प्रतिबंधों के अधधीन : (एक) इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त कोई अधिकार किसी अधिकारी या प्राधिकारी को सौंप सकती है; (दो) इस अधिनियम अथवा तदन्तर्गत बनी नियमावली के अधीन चकबन्दी संचालक, उप-संचालक चकबन्दी, बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), चकबन्दी अधिकारी के अधिकारों को किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी को प्रदान कर सकता है।
उच्चतर प्राधिकारी द्वारा प्राधिकारी के अधीनस्थ प्राधिकारियों के अधिकारों	29-क		जब इस अधिनियम के अधीन अथवा तदन्तर्गत बनी नियमावली के अधीन किसी प्राधिकारी को अधिकारों का प्रयोग या कर्तव्यों का पालन करना हो, तो ऐसे अधिकारों का प्रयोग उससे उच्चतर प्राधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है।

का प्रयोग

- मापन तथा परिच्छेद के प्रयोजनों के लिए भूमि पर प्रवेश करने का अधिकारियों का अधिकार 30 इस अधिनियम में उल्लिखित अधिकारी या उनकी आज्ञाओं के अधीन कार्य करने वाले कोई व्यक्ति या उनमें से कोई एक इस अधिनियम के अधीन किसी कर्तव्य के पालन में भूमि पर प्रवेश कर सकता है, उसका मापन कर सकता है, उस पर मापन के चिह्न बना सकता है तथा उसकी सीमाओं का परिच्छेद कर सकता है और अन्य ऐसे कार्य कर सकता है जो उस कर्तव्य का उचित पालन करने के लिए आवश्यक हो।
- धारा 4 के प्रावधानों का उल्लंघन करने का दण्ड 30क (1) जो व्यक्ति धारा 4(ख) के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, वह किसी समर्थ न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर, ऐसे जुर्माने का भागी होगा जो 1,000 रु० से अधिक न हो।
(2) तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में कोई प्रतिकूल बात के होते हुए भी धारा 4 के प्रावधानों के प्रतिकूल संक्रमण वैध अथवा मान्य न होगा।
- मापन या सीमा, के चिह्नों को नष्ट करने, हानि पहुँचाने अथवा हटाने के सम्बन्ध में दण्ड 31 (1) यदि कोई व्यक्ति विधिक रूप से निर्मित किसी मापन चिह्न को बिना विधिक अधिकार के जान-बूझकर नष्ट करे या हानि पहुँचाये या हटाये तो चकबन्दी अधिकारी उसे प्रतिकर की ऐसी धनराशि के भुगतान करने का आदेश दे सकता है, जो इस प्रकार से नष्ट किये गये, हानि पहुँचाये गये अथवा हटाये गये प्रत्येक चिह्न के लिए 1000 रु० से अधिक न होगी और जो उस अधिकारी के मतानुसार उक्त चिह्न को पूर्व दिशा में लाने के व्यय को पूरा करने तथा उस व्यक्ति को, यदि कोई हो, जिसने नष्ट किये जाने, हानि पहुँचाये जाने की सूचना दी हो, पारितोषिक देने के लिए आवश्यक हो।
(2) उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर देने के लिए दी गई कोई आज्ञा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 434 के अधीन अभियोजन में बाधक न होगी।
- अधिनियम द्वारा स्वीकृत की जाने वाली अपीलें आदि 32 इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी की गई किसी आज्ञा के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण के निमित्त आवेदन-पत्र न प्रस्तुत किया जा सकेगा, जब तक कि इस सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा कोई व्यवस्था न की गई हो।
- पुनरीक्षण और अभिदेश 33 (1) चकबन्दी संचालक किसी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा निर्णीत किसी मामले या की गई किसी कार्यवाही का अभिलेख उस कार्यवाही की नियमितता के विषय में या उस मामले अथवा कार्यवाही में उस प्राधिकारी द्वारा दी गई अन्तर्वर्ती आज्ञा से भिन्न किसी आज्ञा की शुद्धता, वैधता या औचित्य के विषय में अपना समाधान करने के प्रयोजन से मंगा सकता है और उसकी जाँच कर सकता है और सम्बद्ध पक्ष को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस मामले या कार्यवाही में ऐसी आज्ञा दे सकता है जो वह उचित समझे।
(2) चकबन्दी संचालक द्वारा उपधारा (1) के अधीन अधिकारों का प्रयोग उपधारा (3) के अधीन अभिदेश किये जाने पर भी किया जा सकता है।
(3) चकबन्दी संचालक के अधीनस्थ कोई प्राधिकारी, सम्बद्ध पक्ष को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् किसी मामले या कार्यवाही का अभिलेख उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही के लिए चकबन्दी संचालक को अभिदिष्ट कर सकता है।

स्पष्टीकरण (1)— इस धारा के प्रयोजनों के लिए बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), चकबन्दी

अधिकारी, सहायक चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दीकर्ता और चकबन्दी-लेखपाल, चकबन्दी संचालक के अधीन होंगे।

स्पष्टीकरण (2)– इस धारा के प्रयोजनों के लिए शब्द 'अन्तर्वर्ती आदेश' का अर्थ किसी मामले या कार्यवाही के सम्बन्ध में ऐसा आदेश होगा जो कि ऐसे मामले या कार्यवाही अथवा उससे सांपार्श्विक किसी ऐसे विषय का विनिश्चय करें, जिसका प्रभाव ऐसे मामले या कार्यवाही के अन्तिम निस्तारण का न हो।

स्पष्टीकरण (3) – इस धारा के अधीन किसी आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य के परिक्षण करने के अधिकार में कोई निर्णय, चाहे वह किसी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित तथ्य का हो या विधि का हो, सम्मिलित है और इसमें किसी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य का पुनर्विवेचन करने का अधिकार भी सम्मिलित है।

निष्क्रांत सम्पत्ति के 33क
सम्बन्ध में विशेष
उपबन्ध

(1) इस अधिनियम के पूर्ववर्ती उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी—

(क) निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 के उपबंधों के अधीन निष्क्रांत सम्पत्ति के कस्टोडियन (जिन्हें यहां आगे चलकर इस धारा में कस्टोडियन कहा गया है) में निष्क्रांत सम्पत्ति के रूप में निहित किसी भूमि के आश्रय के सम्बन्ध में उसके निर्णय पर इस अधिनियम के अधीन कोई अधिकारी अथवा प्राधिकारी न तो आक्षेप करेगा और न उसे परिवर्तित अथवा व्यतिक्रांत करेगा; और

(ख) इस अधिनियम में किसी बात का यह अर्थ न होगा, जिसमें कस्टोडियन किसी भूमि के सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाही को, जो उसके समक्ष इस अधिनियम के ऐसे उपबंधों के प्रचलित होने के दिनांक पर, जिसके अधीन भूमि के आगम से सम्बद्ध कार्यवाहियाँ रुकनी चाहिए, विचारधीन हो, रोक सके अथवा जिससे चकबन्दी अधिकारी या अन्य किसी प्राधिकारी या अधिकारी को ऐसे अधिकार प्राप्त हों जिसके अनुसार अक्त दिनांक पर कस्टोडियन के समक्ष विचाराधीन किसी कार्यवाही में अन्तर्ग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में आगम के प्रश्न को अवधारण के लिए अभिदिष्ट करें।

(2) जब चकबन्दी-क्रियाओं के फलस्वरूप किसी गांव में—

(क) निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 में उपबंधों के अधीन निष्क्रांत सम्पत्ति के रूप में कस्टोडियन में निहित भूमियाँ उन जोतों में सम्मिलित दी जायें जो कस्टोडियन में निष्क्रांत सम्पत्ति के रूप में निहित न हों, तो ऐसी चकबन्दी योजना के प्रचलन के दिनांक पर और उक्त दिनांक से कस्टोडियन में इस प्रकार निहित न रहेंगी और तत्पश्चात् उक्त अधिनियम के उपबन्ध में प्रवृत्त न रहेंगे; और

(ख) ऐसी भूमियों के बदले में उसी प्रकार की भूमियाँ इन जोतों में सम्मिलित कर दी जायेंगी जो कस्टोडियन में निष्क्रांत सम्पत्ति के रूप में निहित हों और ऐसी भूमियाँ चकबन्दी योजना के प्रचलन के दिनांक से उपर्युक्त अधिनियम के तात्पर्य के अन्तर्गत प्रख्यापित निष्क्रांत सम्पत्ति समझी जायेंगी और कस्टोडियन में निहित हो जायेंगी और तत्पश्चात् अक्त अधिनियम के उपबन्ध यथासम्भव उनके सम्बन्ध में होंगे।

कब्जे का विनियम

33ख

(1) जब खातेदारों के बीच में जिनके अन्तर्गत मंडल की भूमि-प्रबन्धक समिति भी है धारा

33 के अधीन पारित आज्ञाओं के परिणामस्वरूप कब्जे परिवर्तन आवश्यक हो जाय, तो ऐसी आज्ञाओं के अनुसार उनके द्वारा आपस में कब्जे का विनिमय विधिपूर्ण होगा।

(2) जब पारस्परिक समझौते द्वारा कब्जे का परिवर्तन न हो सके, तक सहायक चकबन्दी अधिकारी ऐसे खातेदारों तथा भूमि-प्रबंधक समिति को धारा 19 के उपबंधों के अनुसार कब्जा दिलायेगा।

दीवानी तथा माल 34
न्यायालयों के अधिक्षेत्र
पर रोक

तत्समय प्रचलित अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी भूमि के सम्बन्ध में, जो उस क्षेत्र में पड़ती हो, जिसके लिए धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना जारी कर दी गयी हो, खातेदारों के अधिकारों का प्रख्यापन तथा निर्णय अथवा ऐसे किसी अन्य अधिकारी का निर्णय जो चकबन्दी-कार्यवाहियों से उत्पन्न हो ओर जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही की जा सकती थी अथवा की जानी चाहिए थी इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा और कोई कोई कोई दीवानी या माल न्यायालय उक्त भूमि में अधिकारों के सम्बन्ध में अथवा किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में, जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही की जा सकती थी अथवा की जानी चाहिए थी, किसी बात या कार्यवाही को ग्रहण नहीं करेगा;

परन्तु यह कि इस धारा की कोई बात किसी ऐसी भूमि के सम्बन्ध में, जिस पर इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या अनुसार किसी गाँव सभी को कब्जा किया गया हो, या दिया गया समझ जाय, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 122-ख के अधीन कार्यवाहिया प्रारम्भ करने से असिस्टेन्ट कलेक्टर को प्रवारित नहीं करेगी।

इस अधिनियम और 34क
तदधीन बनी
नियमावली के अन्तर्गत
की गयी कार्यवाही के
लिए सुरक्षा

कोई भी वाद, अभियोजना तथा अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिए प्रस्तुत नहीं की जा सकेगी जो उक्त अधिनियम या तदन्तर्गत बनी नियमावली के अधीन उससे सद्भावना से किया हो या उसको करना अभिप्रेत हो।

न्यायालय-शुल्क से 35
मुक्ति

इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में दिये गये किसी प्रार्थना पत्र पर था, वकालतनामे के अतिरिक्त, किसी लेख्य पर, जो दाखिल किया जाए कोई न्यायालय- शुल्क देय न होगा।

संक्रमण को निष्पादित 36
करने के लिए कोई
कारण आवश्यक नहीं
है

तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, अन्तिम चकबन्दी-योजना को कार्यान्वित करने में जोतों का जो संक्रमण होगा उसे पूरा करने के लिए न तो किसी लिखित कारण की आवश्यकता होगी और न किसी कारण निष्पादित किए जाने पर उसकी रजिस्ट्री की आवश्यकता होगी।

चकबन्दी क्रियाओं की 37
समाप्ति

(1) धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन नये नक्शे और अभिलेख तैयार होने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य, सरकार, गजट में इस आशय की अधिसूचना जारी करेगी कि कटक में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त कर दी गयी हैं और तदुपरान्त उक्त कटक के गाँव चकबन्दी के अधीन नहीं रहेंगे;

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन अधिसूचना जारी किये जाने से, इस अधिनियम के अधीन क्रियाओं के व्यय को निश्चित करने, बांटने और वसूल करने के राज्य-सरकार के अधिकार पर कोई प्रभाव न पड़ेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी अधिसूचना किसी ऐसे दैनिक समाचार-पत्र में भी जिसका क्षेत्र में प्रचलन हो ओर ऐसी अन्य रीति से जैसी उचित समझी जाय, प्रकाशित की जायगी।

(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, भारत के संविधान के उपबन्धों के अधीन प्रस्तुत की गयी लेख-याचिकाओं के मामलों में या उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी किये जाने के दिनांक को इस अधिनियम के अधीन विचाराधीन मामलों या कार्यवाहियों में सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा दी गयी आज्ञाएँ ऐसे प्राधिकारियों द्वारा, जो नियम किये जायें, कार्यान्वित की जायेगी और इस प्रयोजन के लिए चकबन्दी-क्रियाओं के विषय में यह समझा जायेगा कि वे समाप्त नहीं हुई हैं।

(4) जहाँ धारा 16 के अधीन चकबन्दी-योजना के पुष्टिकृत हो जाने के पूर्व किसी भूमि के प्रदेशन या पट्टा का निरसन उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 198 की उपधारा (4) क अधीन आदेश द्वारा किया जाता है और व आदेश अन्तिम हो जाता है वहाँ इस अधिनियम के उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी ऐसे आदेश को निम्नलिखित रीति से ऐसे प्राधिकारियों द्वारा, जो नियत किये जायें, कार्यान्वित किया जायेगा और इस प्रयोजन के लिए चकबन्दी क्रिया को समाप्त नहीं समझा जायेगा, अर्थात्—

(क) ऐसे प्रदेशन या पट्टे की विषयगत भूमि के मूल्यांकन को नियत रीति से पहले सुनिश्चित किया जायेगा;

(ख) चकबन्दी कार्यवाही से सम्बद्ध खातेदार को प्रदिष्ट भूमि के कुल मूल्य में से खण्ड (क) में अभिदिष्ट मूल्यांकन को कम कर दिया जायेगा;

(ग) चकबन्दी-कार्यवाही के दौरान खातेदार उक्त भूमि के मूल्यांकन के बराबर भूमि का हकदार; होगा।

चक-मार्गों तथा 37क
चक-गुलों के लिए
विशेष व्यवस्था

(1) किसी ऐसे कटक की दशा में जिससे सम्बन्ध में उ0 प्र0 जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, 1970 में प्रारम्भ होने के पूर्व धारा 37की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी कर दी गई हो, धारा 37 में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, कलेक्टर, यदि उसकी यह राय हो कि कटक में चक-मार्गों या चक-गुलों की कोई व्यवस्था नहीं है अथवा अपर्याप्त व्यवस्था है, तो उपधारा (2) के अधीन कार्यवाही कर सकता है; और यदि उक्त प्रारम्भ होने के दिनांक के छः महीने के भीतर कुल खातेदारों में से न्यूनतम दस प्रतिशत द्वारा इस आशय का अभ्यावेदन दिया जाय तो उपधारा (2) के अधीन कार्यवाही करेगा।

(2) कलेक्टर इस धारा के अधीन कार्यवाही के प्रस्ताव की और उपधारा (1) के अधीन प्राप्त अभ्यावेदन की भी, यदि कोई हो, सूचना कटक में डुग्गी पिटवाकर और ऐसी अन्य रीति से यदि कोई हो, जिसे वह उचित समझे, दिलवायेगा, और किसी

चकबन्दी अधिकारी को उस क्षेत्र का निरीक्षण करने तथा खातेदारों की या उनमें से ऐसे व्यक्तियों को, जो अभ्यावेदन में सम्मिलित न हों, इच्छाओं को सुनिश्चित करने के निमित्त युक्तियुक्त कदम उठाने और मामले में ऐसी अन्य जाँच करने, जिसे वह चित समझे, का निर्देश देगा।

(3) ऐसा चकबन्दी अधिकारी कटक में चक-मार्गों या चक-गुलों की व्यवस्था करने या, जैसी भी दशा हो, और अधिक पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए योजना बनाने या न बनाने के औचित्य के सम्बन्ध में कलेक्टर को एक रिपोर्ट देगा और कलेक्टर उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यदि उसका यह समाधान हो जाए कि ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर है, योजना का एक प्रारूप तैयार करवायेगा।

(4) तदुपरान्त सहायक चकबन्दी अधिकारी कटक के उतने खातेदारों को, जितना वह व्यवहारगम्य समझे, इच्छा को अनौपचारिक रूप से सुनिश्चित करने के पश्चात् नियत प्रपत्र में योजना का एक प्रारूप तैयार करेगा जिसमें चक-मार्गों या चक-गुलों की व्यवस्था अथवा अतिरिक्त व्यवस्था, जैसी आवश्यकता हो, करने का प्रस्ताव करेगा। योजना का प्रारूप तैयार करने में सहायक चकबन्दी अधिकारी निम्नलिखित सिद्धान्तों को ध्यान में रखेगा, अर्थात्:

(क) जहाँ तक व्यवहारगम्य हो, चक-मार्गों और चक-गुलों की व्यवस्था प्रथमतः गाँव सभा में निहित भूमि का उपयोग करके और द्वितीयतः उन खातेदारों द्वारा धृत भूमि में से, जिनके चक प्रस्तावित चक-मार्गों या चक गुलों से सम्बन्धित हों, और अन्ततः किसी अन्य भूमि से की जानी चाहिए;

(ख) चको का पुनर्व्यवस्थापन हो, केवल उस सीमा तक, जहाँ तक चक-मार्गों तथा चक-गुलों की व्यवस्था करने के लिए वास्तविक रूप में आवश्यक हो, और पहले से ही पुष्टीकृत चकबन्दी-योजना में न्यूनतम व्यातिक्रम किये बिना, किया जाना चाहिए।

(5) उपधारा (4) के अधीन तैयार की गयी योजना का प्रारूप कटक में नियत रीति से प्रकाशित किया जायेगा।

(6) योजना के प्रारूप से प्रभावित कोई व्यक्ति, ऐसे प्रकाशन के दिनांक से 15 दिन के भीतर चकबन्दी-अधिकारी के पास लिखित रूप में आपत्ति दाखिल कर सकता है।

(7) (क) चकबन्दी-अधिकारी सम्बद्ध पक्षों को नोटिस देने के पश्चात् सभी आपत्तियों का निस्तारण करेगा।

(ख) खण्ड (क) के अधीन चकबन्दी अधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति आज्ञा के दिनांक से 15 दिन के भीतर बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के समक्ष अपील कर सकता है जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा।

(ग) खण्ड (क) के अधीन आपत्तियाँ पर निर्णय देने के पूर्व चकबन्दी-अधिकारी और खण्ड (ख) के अधीन अपील पर निर्णय देने के पूर्व बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) सम्बद्ध पक्षों को नोटिस देने के पश्चात् विवादास्पद स्थल का स्थानीय निरीक्षण कर सकता है।

(घ) खण्ड (क) के अधीन चकबन्दी अधिकारी और खण्ड (ख) के अधीन बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के लिए उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, उपधारा (4) में निर्दिष्ट सिद्धान्तों के अनुसार योजना के प्रारूप में परिष्कार करना और बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के लिए उसे चकबन्दी अधिकारी या सहायक चकबन्दी अधिकारी को ऐसे निर्देशों के साथ, जिन्हें वह उचित समझे, प्रतिप्रेषित करना, वैध होना।

(8) बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी—

(क) यदि उपधारा (6) में निर्दिष्ट समय के भीतर कोई आपत्ति प्रस्तुत न की जाय; या

(ख) यदि ऐसी आपत्तियाँ प्रस्तुत की जाएँ तो ऐसे परिष्कारों या परिवर्तनों के पश्चात् जो उपधारा (7) के अधीन आपत्तियों तथा अपीलों पर दी गई आज्ञाओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक हों, योजना की पुष्टि कर देगा।

(9) उपधारा (8) के अधीन पुष्टीकृत-योजना कटक में नियत रीति से प्रकाशित की जायेगी और ऐसे प्रकाशन के दिनांक को प्रवृत्त होगी और तदुपरान्त धारा 16 के अधीन अन्तिम रूपसे बनी चकबन्दी योजना और दी गई प्रदेशन आज्ञाएं जारी की जायेगी।

(10) अध्याय 4 के उपबन्ध उक्त योजना के सम्बन्ध में आवश्यक परिवर्तनों के साथ प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे अन्तिम चकबन्दी-योजना के सम्बन्ध में लागू होते हैं और अध्याय 4 को लागू किए जाने के प्रयोजन के लिए, इस धारा के अधीन व्यवस्थित चक्र-मार्गों और चक गुलों के लिये दी गयी भूमि धारा 8 के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए दी गयी भूमि समझी जायेगी।

खातेदारों के मध्य 38
चकों का पारस्परिक
विनिमय

बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के लिए यह वैध होगा कि वह चकबन्दी-क्रियाओं के किसी स्तर पर, किन्तु धारा 18 के अधीन अन्तिम अभिलेख तैयार हो जाने के पूर्व, खातेदारों के मध्य (समझौते द्वारा) चकों या उनके किसी भाग का पारस्परिक विनिमय की अनुमति दे, यदि वह बात से सन्तुष्ट हो कि उक्त विनिमय से चकों के आकार में सुधार हो जायेगा अथवा उनकी संख्या में कमी हो जायेगी और उन लोगों में सामान्यतया अपेक्षाकृत अधिक संतोष उत्पन्न होगा।

खातेदारों द्वारा तैयार 38क
की गयी
चकबन्दी-योजना की
मान्यता

(1) उप-संचालक चकबन्दी किसी गाँव के सम्बन्ध में, चाहे वह चकबन्दी क्षेत्र के भीतर हो या बाहर, गाँव के खातेदारों द्वारा स्वेच्छा से तैयार की गयी किसी (चकबन्दी योजना) को मान्यता दे सकता है, यदि वह इस बात से सन्तुष्ट हो कि उक्त योजना इस अधिनियम के अधीन चकबन्दी के समान सिद्धान्तों के अनुकूल है तथा उससे सम्बद्ध सभी खातेदारों का समर्थन प्राप्त है और वह सम्बन्धित व्यक्तियों के प्रति अन्यथा न्यायपूर्ण है।

(2) उपधारा (1) के अधीन मान्यता प्राप्त चकबन्दी-योजना इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन तैयार तथा पुष्टि की गयी समझी जायेगी और उसके अधीन लागू समझी

जाएगी।

परिसीमा	38ख	परिसीमन अधिनियम, 1963 की धारा 5 के उपबंध इस अधिनियम तथा तदन्तर्गत बनी नियमावली के अधीन प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों, अपीलों, पुनरीक्षणों तथा अन्य कार्यवाहियों पर लागू होंगे।
नियम बनाने का अधिकार	39	<p>(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यन्वित करने के प्रयोजन के लिए गजट में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।</p> <p>(2) पूर्वोक्त अधिकार की व्याप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव न डालते हुए, ऐसे नियम निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकते हैं—</p> <p>(क) धारा 3की उपधारा (2)के अधीन अधिसूचना का आकार;</p> <p>(ख) धारा 2 के खण्ड (घ) के अधीन चकबन्दी –समिति का संगठन, चकबन्दी-समिति के सदस्यों के कार्यालय का अवधारणा तथा उसमें रिक्ति होने पर की जाने वाली कार्यवाही;</p> <p>(ग) धारा 3 (2)के अधीन स्थगित वादो और कार्यवाही के निस्तारण की प्रक्रिया;</p> <p>(घ) चकबन्दी-क्षेत्रों में जोत के संक्रमण के लिए धारा 3की उपधारा (1)के खण्ड (ग) में अभिनिर्दिष्ट अनुज्ञा देने के लिए बन्दोबस्त अधिकारी(चकबन्दी) द्वारा अनुपालन की जाने वाली शर्तें।</p> <p>(ङ.) धारा 7 से 11 तक के तथा धारा 12 के अधीन नक्शों और अभिलेखों के पुनरीक्षण जिसके अन्तर्गत अधिकारों का प्रख्यापन, संयुक्त जोतों का विभाजन , गाटों का मूल्यांकन , कुओं तथा पेड़ों अन्य समुन्नतियों के प्रतिकार का अवधारणा तथा प्रभाजन भी है से सम्बद्ध प्रक्रिया और सिद्धान्तों के विवरण की तैयारी तथा प्रकाशन;</p> <p>(च) नये खाते पर मालगुजारी का अवधारणा और धारा12-क के अधीन उसका पुरानी जोतों के भागों पर वितरण;</p> <p>(छ) धारा12-ख के अधीन जोतों के संयोजन से सम्बन्धित प्रक्रिया;</p> <p>(ज) धारा 13-क, 14 और 16 के अधीन चकबन्दी-योजना तैयार करने, उसे प्रकाशित करने और उसकी पुष्टी करने की प्रक्रिया और रीति;</p> <p>(झ) धारा 16के अधीन प्रदेशन आज़ाएँ जारी करने की प्रक्रिया और रीति;</p> <p>(ञ) एतदर्थ निर्दिष्ट प्रयोजनों पर चकबन्दी-समिति के विचार प्राप्त करने की रीति और प्रक्रिया;</p> <p>(ट) उस सार्वजनिक प्रयोजन का अवधारण जिसके निमित्त क्षेत्र विनिर्दिष्ट किये जायें और जिसमें वह किया जाए;</p> <p>(ठ) सार्वजनिक भूमि से उस भूमि में जो सार्वजनिक प्रयोजन के निमित्त विनिर्दिष्ट की गई हो, अधिकारों के संक्रमण से सम्बद्ध विषय;</p>

- (ड) धारा 17 और 19 के अधीन कब्जा लेने की प्रक्रिया;
- (ढ) इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति को दिये जाने वाले या उससे वसूल किए जाने वाले प्रतिकर के अवधारणा की प्रक्रिया और रीति;
- (ण) चकबन्दी व्यय के अन्तर्गत वह अनुपात भी है, जिसके अनुसार उसका वितरण किया जा सकता है, वितरण करने के सम्बन्ध में विचार की जाने वाली परिस्थितियाँ और विषय;
- (त) इस अधिनियम के अधीन नोटिस या किसी लेख्य के तामील किये जाने की रीति से सम्बद्ध विषय;
- (थ) इस अधिनियम के अधीन समस्त कार्यवाहियों में, जिनके अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र और अपीलें भी हैं, अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;
- (द) इस अधिनियम के अधीन क्षेत्राधिकार रखने वाले प्रत्येक अधिकारी अथवा प्राधिकारी के कर्तव्य और ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;
- (ध) उन मामलों में, जिनमें यहाँ पर तत्सम्बन्धी विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है, इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना-पत्रों और अपीलों के प्रस्तुत किये जाने की कालावधि;
- (न) किसी अधिकारी को निश्चित काल-सीमाओं के बढ़ाने का अधिकार देते हुए अथवा न देते हुए काल सम्बन्धी सीमाओं का निश्चय, जिनके भीतर नियमों के प्रयोजनों के निमित्त कार्य अवश्य किये जाने चाहिए;
- (प) किसी प्राधिकारी या अधिकारी के पास से दूसरे को कार्यवाहियों का संक्रमण, और
- (फ) अन्य कोई विषय, जो नियत हो या नियत किया जाए।
- (3) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, उसके एक सत्र या दो सत्र या अधिक सत्रों में समाविष्ट कम से कम कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई वाद का दिनांक निर्धारित न किया जाये, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगे जो विधानमण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार के किसी परिष्कार या अभिशून्यन से सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।

**THE UTTRKHAND HILLS CONSOLIDATION OF HOLDINGS AND LAND
REFORMS ACT, 2016**

[Uttrakhand Act No. 21 of 2016]

**An
Act**

to provide the consolidation of agricultural holdings in hill areas of Uttrakhand for the enhancement of agriculture productivity, to provide commercial shape to agricultural and to create a self employment opportunities from this procedure,

IT IS HEREBY enacted by the Uttrakhand Legislative Assembly in the 67th Year of the Republic of India as follows :-

Chapter I

Preliminary and Definition

- | | |
|---|--|
| Short title,
extent and
commencement | 1. (1) This Act may be called the Uttrakhand Consolidation of Holdings and Land Reforms Act, 2016.
(2) The extension of this Act shall apply except District Haridwar and Uddham Singh Nagar and except plain area of District Dehradun, Tehri, Pauri, Nainital and Champawat.
(3) This section shall come into force at once and the remainder of the Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint in this behalf and different dates may be appointed for different parts of Uttrakhand. |
| Definitions | 2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context-
(1) (a) "State Government" means Government of Uttrakhand;
(b) "land" means land held or occupied for purposes connected with agriculture, horticulture and animal husbandry (including pisciculture and poultry farming) and includes:
(i) the site, being a part of holding of a house or other similar structure; and
(ii) trees, wells and other improvements existing on the plots forming the holding ;
(iii) such non-Zamidari abolition land who is in title of such holders and necessary for consolidation scheme. |

(c) "Unit" means village or part thereof, and where the Director of Consolidation so notifies by publication in the official Gazette, two or more villages or parts thereof or which a single scheme of consolidation is to be framed;

(d) "Holding" means parcel or parcels of land held under one tenure by a tenure-holder singly or jointly with other tenure-holders.

Explanation- For the purposes of this clause, holding shall not include the following : --

(i) land subject to fluvial action and intensive soil erosion;

(ii) land mentioned in section 132 of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 ;

(iii) such compact areas as are normally subject to prolonged water-Jogging;

(iv) such other areas as the Operator of Consolidation may declare to be unsuitable for the purpose of consolidation ;

(v) such area as after the notification of commencement of Consolidation work identify and notify as commercial area by the Deputy Operator of Consolidation.

(2) (a) "Consolidation" means re-arrangement of holdings in a unit amongst several tenure-holders in such a way as to make their respective holdings more compact;

(b) "Consolidation scheme" means the scheme of consolidation in a unit ;

(c) "Consolidation area" means the area, in respect of which a notification under section 4 has been issued, except such portion thereof to which the provisions of the U, P, Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950(UP Act no 1 of 1951) or any other Law by which Zamindari System has been abolished do not apply ;

(d) "Consolidation Committee" means a committee to be constituted in the manner prescribed for the purposes of the Act;

(e) "Consolidation Records" means maps, registers, shape letters and notices during the proceeding of consolidation or voluntary consolidation who will be also kapt as digital as

may possible;

(f) "Chak" means the parcel of land allotted to a tenure holder on consolidation;

(g) "Voluntary Consolidation" means such consolidation to be with mutual exchange, gift and donation under different sections of the Act;

(3) (a) "Consolidation Lekhpal" means a person appointed as such by the State Government to perform the duties of a Consolidation Lekhpal under this Act or the rules made there under and shall, in areas under consolidation operations, include a Lekhpal appointed under the U. P. Land Revenue Act, 1901 ;

(b) "Consolidator" means a person appointed as such by the State Government to exercise the powers and perform the duties of a consolidator under the Act or the rules made thereunder, and shall include a Rectangulator and also, in areas under consolidation operations, the Supervisor Kanungo appointed under the U. P. Land Revenue Act, 1901 for that area ;

(c) "Assistant Consolidation Officer" means a person appointed as such by the State Government to exercise the powers and perform the duties of an Assistant Consolidation Officer under this Act or the rules made thereunder and shall include an Assistant Rectangulation Officer;

(d) "Consolidation Officer" means a person appointed as such by the State Government to exercise the powers and perform, the duties of a Consolidation Officer under this Act or the rules made thereunder and shall include a Rectangulation Officer;

(e) "Settlement Officer Consolidation" means a person appointed as such by State Government to exercise the powers and perform the duties of a Settlement Officer, Consolidation under this Act and the rules made thereunder and shall include any Additional Settlement Officer, Consolidation and Assistant Settlement Officer, Consolidation;

(f) "Deputy Director of Consolidation" means a person appointed as such by the State Government to exercise such powers and perform such duties of the Director of Consolidation as may be delegated to him by the State Government and shall include a District Deputy Director of Consolidation and Assistant Director of Consolidation;

(g) "District Deputy Director of Consolidation" means a person

who is for the time being the Collector of the District;

(h) "Director of Consolidation" means the person appointed as such by the State Government to exercise the powers and perform the duties of the Director of Consolidation under this Act or the rules made thereunder and shall include an additional Director of Consolidation and a Joint Director of Consolidation;

(4) "Prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(5) "Legal representative" has the meaning assigned to it in the Code of Civil Procedure, 1908 ;

(6) "Publication in the unit" or "publish in the unit" with reference to any document means reading out the document in the unit on a date of which prior notice shall be given by beat of drum, and proclamation by beat of drum, or, in any other customary mode, in the unit of the fact that the document is open to public inspection at any appointed place and time;

Provided that where a Consolidation Committee has been constituted for the unit each member of the said Committee shall also be individually informed of the fact of publication;

(7) "Rectangulation" means the process of dividing the area of a unit into rectangles and parts of rectangles of convenient size with a view to regulating the allotment of chaks during consolidation;

(8) "Tenure-holder" means a Bhumidhar with transferable rights or Bhumidhar with non-transferable rights and includes :--

(a) an asami,

(b) a Government lessee or Government grantee, or

(c) a co-operative farming society satisfying such conditions as may be prescribed.

(9) "Publication of consolidation of records" means publication of different consolidation records to be promulgated during the consolidation scheme and also include the publication of prepared records on internet as digital;

(10) Words and expressions-

(a) not defined in this Act but used or defined in the U. P. Land Revenue Act, 1901, or

(b) not defined in this Act or in the U. P. Land Revenue Act, 1901, but used or defined in the U. P. Zarnindari Abolition

and Land Reforms Act, 1950;

shall have the meanings assigned to them in the Act in which they are so used or defined;

- (11) The references to the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 (UP Act no 1 of 1951) (as applicable to the State of Uttarakhand) and the U. P, Land Revenue Act 1901, (UP Act no 3 of 1901) (as applicable to the State of Uttarakhand) shall be construed as references to the said Acts as amended from time to time.

Chapter II

Revision And Correction Of Maps And Records

Declaration and notification regarding consolidation

3. (1) (a) The State Government may where it is of opinion that a district or part thereof may be brought under consolidation operations, make a declaration to that effect in the Gazette, whereupon it shall become lawful for any officer or authority who may be empowered in this behalf by the District Deputy Director of Consolidation -
- (i) to enter upon and survey, in connection with rectangulation or otherwise and to take levels of any land in such area ;
 - (ii) to fix pillars in connection with rectangulation; and
 - (iii) to do all acts necessary to ascertain the suitability of the area for consolidation operations;
- (b) The District Deputy Director of Consolidation shall cause public notice of the declaration issued under clause (a) to be given at convenient places in the said district or part thereof.
- (2) (a) when the State Government decides to start consolidation operations, either in an area covered by a declaration issued under sub-section (1) or in any other area, it may issue a notification to this effect.
- (b) every such notification shall be published in the Gazette and in a daily newspaper having circulation in the said area and shall also be published in each unit in the said area in such manner as may be considered appropriate.
- (3) (a) Where the State Government is of opinion that in the case of a district or part thereof in respect of which a notification has already been issued under section 37, it is expedient in public interest so to do, it may make a declaration by notification in the Gazette that the such district or part thereof may again be brought

under consolidation operation :

Provided that no such declaration shall be issued within twenty years from the date of the notification referred to in the said section, but in special circumstances the State Government may, in public interest, issue such declaration after ten years from the said date.

(b) The provisions of this Act shall mutatis mutandis apply to every notification issued under sub-section (1) as they apply to a notification under section 3.

**Effect of
notification
under section
3(2)**

4. (1) Upon the publication of the notification under sub-section (2) of section 3 in the official Gazette, the consequences, as hereinafter set forth, shall subject to the provisions of this Act, from the date specified thereunder till the publication of notification under section 37 or sub-section (1) of section 5, as the case may be, ensue in the area to which the notification under sub-section (2) of section 3 relates, namely-

(a) the district or part thereof, as the case may be, shall be deemed to be under consolidation operations and the duty of maintain the record-of-rights and preparing the village map the field book and the annual register of each village shall be performed by the District Deputy Director of Consolidation, who shall maintain Or prepare them, as the case may be, in the manner prescribed;

(b) notwithstanding anything contained in the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950,(UP Act no. 1 of 1951) no tenure-holder except with the permission in writing of the Settlement Officer, Consolidation, previously obtained shall use his holding or any part thereof for purposes not connected with agriculture, horticulture or animal husbandry including pisciculture and poultry farming ;

Provided that a tenure-holder may continue to use his holding, or any part thereof for any purpose far which it was in used prior to the date specified in the notification issued under sub-section (2) of section 3.

(2) Upon the said publication of the notification under sub- section (2) of section 3 the following further consequences shall ensue in the area to which the notification relates, namely-

(a) every proceeding for the correction of records and every suit and proceeding in respect of declaration of rights or interest in

any land lying in the area, or for declaration or adjudication of any other right in regard to which proceedings can or ought to be taken under this Act pending before any court or authority whether of the first instance or of appeal, reference or revision shall on an order being passed in that behalf by the court or authority before whom such suit or proceeding is pending, stand abated :

Provided that no such order shall be passed without giving to the parties notice by post or in any other manner and after giving them an opportunity of being heard :

Provided further that on the issue of the notification under sub-section (1) of section 5, in respect of the said area or part thereof every such order in relation to the land lying in such area or part, as the case may be, shall stand vacated ;

- (b) such abatement shall be without prejudice to the rights of the persons affected to agitate the right or interest in dispute in the said suits or proceedings before the appropriate consolidation authorities under and in accordance with the provisions of this Act and the rules made thereunder.

Explanation- For the purposes of sub-section (2), a proceeding under the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960 (as applicable of the State of Utrakhhand) or an uncontested proceeding under sections 134 to 137 of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, shall not be deemed to be a proceeding in respect of declaration of rights or interest in any land.

Cancellation of notification under section 3

5. (1) It shall be lawful for the State Government at any time to cancel the notification made under section 3 in respect of the whole or part of the area specified therein.
- (2) Where a notification has been cancelled in respect of any unit under sub section (1), such area shall subject to the final orders relating to the correction of land records, if any, passed on or before the date of such cancellation, cease to be under consolidation operation with effect from the date of the cancellation.

Special provisions regarding undisputed succession

- 6 (1) After the publication of notification under sub-section (2) of section 3 or section 4 and before start of the proceeding under section 7, a case of undisputed mutation on the basis of succession shall be disposed of by a Consolidation Officer and on

the basis of a transfer shall be disposed of by the Assistant Consolidation Officer, in such manner and after making such inquiry as may be prescribed ;

Provided that no case shall be entertained, continued or disposed of under this section after start of the proceeding under section 7.

- (2) An order made under sub-section (1) shall not be a bar to an objection under section 8.

provision regarding section 6

- 6A** After the permission of disposal of transfer under section 6 in case of dispute cancel the order passed by Settlement officer (consolidation) under section 9 shall be restored for disposal.

Revision of village map

- 7.** With a view to facilities the revision of records of each village or part thereof in the unit and subject to the provisions hereinafter contained the District Deputy Director of Consolidation shall, before the provisional consolidation scheme for a unit is prepared, cause to revise the village maps of such unit.

In the revision procedure of records shall be prepared digital maps and records from modern technique and shall be remembered that the match of existing maps with the digital maps also.

Revision of the field-book and the current annual register, determination of valuations and shares in joint holding

- 8.** (1) Upon the revision of maps under section 7, the District Deputy Director or of Consolidation shall, subject to the provisions herein-after contained, and in such manner as may be prescribed, cause to be-
- (i) revised, the field-book of the unit after field to field partial and the current annual register after its test and verification ;
 - (ii) determined, in consultation with the Consolidation Committee, the valuation of-
 - (a) each plots after taking into consolidation its productivity location and availability of irrigation facilities if any ; and
 - (b) all trees, wells and other improvements existing in the plots for the purpose of calculating compensation therefor ;
 - (iii) ascertained the share of each owner, if there be more owners than one, out of the valuation determined under sub- clause (b) of clause (ii) ; and
 - (iv) determined the shares of individual tenure-holders in joint

holdings for the purpose of effecting partition to ensure proper consolidation.

(v) during the revision of maps, the differences between total area and records, correctness for corrections shall be shown.

(2) The District Deputy Director of Consolidation shall cause to be prepared a "khasra chakbandi" in the form prescribed, in respect of all the plots fallen, in the unit as also a statement showing the mistakes undisputed cases of succession and disputes discovered during the test and verification of the annual register in the course of the field to field partal.

**Preparation of
Statement of
Principles**

8-A

(1) The Assistant Consolidation Officer shall, in consultation with Consolidation Committee, prepare in respect of each unit under consolidation operations, a statement in the prescribed form (hereinafter called the Statement of Principles) setting forth the principles to be followed in carrying out the consolidation operations in the unit.

(2) The Statement of Principles shall also contain-

(a) details of areas, as far as they can be determined at this stage, to be earmarked for extension of abadi Including areas for abadi site for Harijans and landless persons in the unit and for such other public purposes as may be prescribed;

(b) the basis on which the tenure-holders will contribute land for extension of abadi and for other public purposes; and

(c) details of such land to be earmarked for State land and to be appropriate to include consolidation scheme by prior permission of the State.

(d) the standard plots for each unit.

(3) The standard plots referred to in clause (d) of sub-section (2) shall be determined by the Assistant Consolidation Officer after ascertaining from the members of the Consolidation Committee and the tenure-holders of the units the best plot or plots of the unit, regard being had to productivity, location and the existing soil class of the plot or plots.

(4) The Additional principles shall be include in notified area for voluntary consolidation.

**Issue of extracts
from records
and statements
and publication**

9.

(1) Upon the preparation of the records and the statements mentioned in section 8 and 8-A, the Assistant Consolidation Officer, shall-

(a) correct the clerical mistakes, undisputed cases of succession if

of the records mentioned in sections 8 and 8-A and the issue of notices for inviting objections

any, and send or cause to be sent to the tenure-holder concerned and other persons interested, notices containing relevant extracts from the current annual register and such other record as may be prescribed showing-

- (i) their rights in and liabilities in relation to the land;
- (ii) mistakes undisputed cases of succession and disputes discovered under section 8 in respect thereof;
- (iii) specific shares of individual tenure-holder in joint holdings for the purpose of effecting partitions, where necessary, to ensure proper consolidation;
- (iv) valuations of the plots ; and
- (v) valuation of trees, wells and other improvements for calculating compensation there or and its Apportionmenty amongst owners, if there be more owners than one;

(b) publish in the unit the current Khasra and the current annual register, the Khasra Chakbandi, the Statement of Principles prepared under section 8-A and any other records that may be prescribed to show, inter alia, the particulars referred to in clause (a),

(2) Any person to whom a notice under sub-section (1) has been sent, or any other person interested, may, within 21 days of the receipt of notice, or of the publication under sub-section (1), as the case may be, file before the Assistant Consolidation Officer objections in respect thereof disputing the correctness or nature of the entries in the records or in the extracts furnished therefrom, or in the Statement of Principles, or the need for partition.

Disposal of cases relating to claims to land and partition of joint holdings

9-A (1) The Assistant Consolidation Officer shall-

(i) where objections in respect of claims to and or partition of joint holdings are filed, after hearing the parties concerned; and

(ii) where no objections are filed, after making such enquiry as he may deem necessary,

settle the disputes, correct the mistakes and effect partition as far as may be by conciliation between the parties appearing before him and pass orders on the basis of such conciliation;

Provided that where the Assistant Consolidation Officer,

after making such enquiry as he may deem necessary, is satisfied that a case of succession is undisputed, he shall dispose of the case on the basis of such enquiry.

- (2) All cases which are not disposed of by the Assistant Consolidation Officer under sub-section (1), all cases relating to valuation of plots and all cases relating to valuation of trees, wells or other improvements for calculating compensation therefore, and its appointment amongst, co-owners, if there be more owners than one, shall be forwarded by the Assistant Consolidation Officer to the Consolidation Officer, who shall dispose of the same in the manner prescribed.
- (3) The Assistant Consolidation Officer, while acting under sub-section (1) and the Consolidation Officer while acting under sub-section (2), shall be deemed to be a court of Competent jurisdiction anything to the contrary contained in any other law for the time being in force notwithstanding.

Disposal of objections on the Statement of Principles

- 9-B**
- (1) Where objections have been filed against the Statement of Principles under section 9, the Assistant Consolidation Officer shall after affording opportunity of being heard to the parties concerned and after taking into consideration the views of the Consolidation Committee, submit his report to the Consolidation Officer who shall dispose of the objections in the manner prescribed.
 - (2) Where no objections have been filed against the Statement of Principles within the time provided therefor under section 9, the Consolidation Officer shall, with a view to examining the correctness, make local inspection of the unit, after giving due notice to the Consolidation Committee and may thereafter make such modification or alterations in the Statement of Principles as he may consider necessary.
 - (3) Any person aggrieved by an order of the Consolidation Officer under sub-section (1), or sub-section (2), may, within 21 days of the date of the order, file an appeal before the Settlement Officer, Consolidation, whose decision except as otherwise provided by or under this Act shall be final.
 - (4) The Consolidation Officer and the Settlement Officer, Consolidation shall before deciding an objection or an appeal, make local inspection of the unit after giving due notice to the parties concerned and the Consolidation Committee.

- Partition of joint-holdings**
- 9-C** (1) The Assistant Consolidation Officer or the Consolidation Officer may partition joint holdings under section 9-A notwithstanding anything to the contrary contained in 178 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, or any other law, and may also partition the same *suo moto*.
- (2) The partition of joint holdings shall be effected on the basis of shares;
- Provided that where the tenure-holders concerned agree, it may be effected on the basis of specific plots.
- Preparation and maintenance of revised Annual Registers**
- 10.** (1) The Annual Register shall be revised on the basis of the orders passed under sub-section (1) and sub-section (2) of section 9-A. It shall thereafter be prepared in the form prescribed and published in the unit.
- (2) Where any entry in the annual register, published under sub-section (1), is modified in pursuance of an order passed under this Act or under any other law, a reference to the order along with an extract of its operative portion shall be noted against the said entry.
- Appeals**
- 11.** (1) Any party to the proceedings under section 9-A, aggrieved by an order of the Assistant Consolidation Officer or the Consolidation Officer under that section, may, within 21 days of the date of the order, file an appeal before the Settlement Officer, Consolidation, who shall, after affording opportunity of being heard to the parties concerned, give his decision thereon which, except as otherwise provided by or order under this Act, shall be final and not be questioned in any court of law.
- (2) The Settlement Officer, Consolidation, hearing an appeal under sub-section (1) shall be deemed to be a court of competent jurisdiction, anything to the contrary contained in any law for the time being in force notwithstanding.
- Bar on objections**
- 11-A** No question in respect of relating to the consolidation area which has been raised under section 9 or which might or ought to have been raised under that section, but has not been so raised shall be raised or heard at any subsequent stage of the consolidation proceedings :--
- (i) claims to land,
- (ii) partition of joint-holdings, and
- (iii) valuation of plots, trees, wells and other improve merits,

where the question is sought to be raised by a tenure-holder of the plot or the owner of the tree, well or other improvements recorded in the annual register under section 10.

11-B In course of hearing of an objection under section 9-A or an appeal under section 11 or in proceedings, under section 33, the Consolidation Officer, the Settlement Officer (Consolidation) or the Director of consolidation, as the case may be, may direct that any land which vests in the State Government or the Gaon Sabha or any other local body or authority may be recorded in its name, even though no objection, appeal or revision has been filed by such Government, Gaon Sabha, body or authority.

Decision of matters relating to changes and transactions affecting rights or interests recorded in revised records

- 12.** (1) All matters relating to changes and transfers affecting any of the rights or interest recorded in the revised records published under sub-section (1) of section 10 for which a cause of action had not arisen when proceedings under sections 7 to 9 were started or were in progress may be raised before the Assistant Consolidation Officer as and when they arise, but not later than the date of notification under section 37, or under sub-section (1) of section 5.
- (2) The provisions of sections 7 to 11 shall, *mutatis mutandis*, apply to the hearing and decision of any matter raised under sub-section (1) as if it were a matter raised under the aforesaid section.

Assessment of land revenue on new holdings and distribution of, revenue on parts of holdings

- 12-A** (1) Notwithstanding anything contained in U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, the Settlement, Officer, Consolidation, may subject to the, rules made in this behalf-
- (a) determine the amount of land revenue payable by a tenure-holder on land on which he acquires rights as a result or orders under this Act, and
- (b) where necessary, also determine the amount of land revenue payable in respect of a portion of the tenure-holders holding .
- (2) In assessing the amount of land revenue payable under sub-section (1), the provisions of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 and the rules made thereunder shall *mutatis mutandis* apply.

Amalgamation of holdings

- 12-B** Two or more tenure-holders may at any time before the publication of the revised annual register under sub-section (1) of section 10, apply to the Consolidation Officer to amalgamate their

holdings of like tenure on such terms as may be agreed upon between them. The Consolidation Officer may, if the proposed amalgamation is in the interest of consolidation give effect to the same.

Chapter III

Preparation Of Consolidation Scheme

**Consolidations
to be fulfilled by
a consolidation
scheme**

13. (1) A consolidation scheme shall fulfil the following conditions; namely-
- (a) the rights and liabilities of a tenure-holder, as recorded in the annual register prepared under section 10, are subject to the deductions, if any, made on account of contributions to public purposes under this Act, secured in the lands allotted to him .
 - (b) the valuation of plots allotted to a tenure-holder subject to deductions, if any, made on account of contribution to public purposes under this Act, is equal to the valuation of plots originally held by him;
 - (c) the compensation determined under the provisions of this Act, or the rules framed thereunder, is awarded-
 - (1) To the tenure-holder-s-
 - (i) for trees, wells other improvements, originally held by him and allotted to another tenure-holder and,
 - (ii) for land contributed by him for public purposes;
 - (2) To the Gaon Sabha, or any other local authority, as the case may be, for development, if any, effected by it in or over land belonging to it and allotted to a tenure-holder ;
 - (d) the principles laid down in the Statement of Principles are followed;
 - (e) every tenure-holder is, as far as possible, allotted a compact area ,at the place where he holds the largest part of his holding :

Provided that no tenure-holder maybe allotted more chaks than three except with the, approval in writing of the Deputy Director of Consolidation.

Provided further that no consolidation made shall be invalid for the reason merely that the number of chaks allotted to a tenure-holder exceeds three ;
 - (f) every tenure-holder is, as far as possible, allotted the plot on which exists his private source of irrigation or any other improvement together with an area in the vicinity equal to the valuation or the plots originally held by him there; and
 - (g) every tenure-holder is, as far as Possible, allotted chaks in conformity with the process of rectangulation in rectangulation

units.

(h) the principles of voluntary consolidation shall be accorded and shall be comply fix terms for voluntary consolidation according section 13 and section 19.

(2) A consolidation scheme before it is made final under section 16, shall be provisionally drawn up in accordance with the provisions of section,13.

Preparation of provisional consolidation scheme by the Assistant Consolidation Officer

13-A (1) The Assistant, Consolidation officer shah in consultation with the consolidation Committee, prepare in the horn prescribed, a provisional Consolidation Scheme for the unit,

(2) Notwithstanding anything contained in this Act, the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 (UP Act no. 1 of 1951) or any other law for the time being in, force, it shall be lawful for the Assistant Consolidation Officer where in his opinion it is necessary or expedient so to do to allot a tenure-holder, after determining its valuation any land belonging to the State Government, or any, land vested, in the Gaon Sabha, or arty other local authority or as a result of notification issued under section 117, or 117-A of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act 1950;

Provided where any, such, land is used for a public purpose, it shall be allotted only after the Assistant Consolidation Officer has declared in writing that it is proposed to transfer the rights of the public as well as all individuals in or, over that land to any either and specified in the declaration and earmarked for that, purpose in the provisional Consolidation Scheme.

Publication of the provisional consolidation scheme and receipt of objection thereon

14. (1) Upon the preparation of the provisional consolidation scheme, the Assistant, Consolidation officer shall send or cause to be sent, to the tenure-holder concerned and person's interested, notices containing relevant extracts therefrom. The provisional consolidation scheme have thereafter, be published in the unit.

(2) Subject to the provisions contained in section 11-A any person to whom notice has been sent under sub-section (1), and any other person affected by the provisional consolidation scheme, disputing the property or correctness of the entries In the provisional consolidation scheme; or in the extracts furnished therefrom may, within 45 days of the receipt or the notice or of the date of the publication of the consolidation scheme, as the case may be file an objection before the Assistant Consolidation Officer or the Consolidation Officer.

(3) Any person affected, or any person having any interest or right, in addition to the, right of public highway in, or over any public land, or having other interest or right which is substantially prejudiced by the declaration made under sub-section (2) of section 19-A, may, within 45 days after the publication of, the provisional consolidation scheme file

an objection before the Assistant Consolidation Officer or the Consolidation Officer stating the nature of such interest or right.

Disposal of objections to the provisional Consolidation Scheme

15. (1) All objections received by the Assistant Consolidation Officer shall, as soon as may be, after the expiry of the period of limitation prescribed therefore be submitted by him to the Consolidation Officer who shall dispose of the same, as also the objections received by him, in the manner hereinafter provided after notice, to the parties concerned and the Consolidation Committee.
- (2) Any person aggrieved by the order of the Consolidation Officer under sub-section (1) may, within 45 days of the date of the order file an appeal before the Settlement Officer, Consolidation, whose decision shall, except as otherwise provided by or under this Act, be final.
- (3) The Consolidation Officer shall, before deciding the objections, and the Settlement Officer, Consolidation may, before deciding an appeal, make local inspection of the plots in dispute after notice to the parties concerned and the Consolidation committee.
- (4) It during the course of the disposal of an objection or the hearing of an appeal, the Consolidation Officer or the Settlement Officer, Consolidation, as the case, may be, is of this opinion that Material injustice is likely to be caused to a number of tenure-holders in giving-effect to, the provisional Consolidation Scheme as prepared by the assistant Consolidation Officer, or as, subsequently modified by the Consolidation Officer, as the case may and, that, a fair and proper allotment of land to the, tenure-holders of the units is not possible without revising the provisional Consolidation Scheme, or getting a fresh one prepared, it shall be lawful, for reasons to be recorded in writing for-
- (i) the consolidation officer to revised provisional consolidation scheme, after giving opportunity of being heard to the tenure-holders concerned, or to remand the same to the Assistant consolidation officer, with such directions as the Consolidation officer may consider necessary; and
 - (ii) the Settlement Officer, Consolidation to revise the provision of Consolidation Scheme after giving opportunity of being heard to the tenure-holders concerned or to remand the same to the Assistant Consolidation Officer, or the Consolidation Officer as the Settlement Officer Consolidation may think fit with such directions as they may consider necessary.

Confirmation of the provisional Consolidation Scheme and the issue of a allotment orders

16. (1) The Settlement Officer, Consolidation shall confirm the provisional Consolidation Scheme-
- (a) if no objections are filed within the time specified in section 14 ; or
 - (b) Where such objections are filed, after such modifications or

alterations as may be necessary in view of the orders passed under sub-sections (1) to (4) of section 15.

- (2) The provisional Consolidation Scheme so confirmed shall be published in the unit and, except as otherwise provided by or under this Act shall be final.
- (3) (i) Where the allotments made under section 13(1) are not modified under section 15 and are confirmed under section 16, the extracts contained in the notice issued under section 14, shall except as provided by or under this Act be treated as final allotment orders for the tenure-holders concerned;
(ii) In cases not covered by clause (i), revised extract specifying the modified allotments; as confirmed under sub-section (1) shall be issued by-
 - (a) the Consolidation Officer, where the allotments are not modified by the Settlement Officer, Consolidation; and
 - (b) by the Settlement Officer, Consolidation, where he has modified the allotment, and the same shall except as otherwise, provided by or under this Act be the final allotment orders for the tenure-holders concerned.
- (4) After completion of initial scheme of voluntary consolidation under section 13, the consolidation officers of such other equivalent officer who is authorised by Deputy Operator Consolidation for this purpose, as initial scheme the permission letter shall be issue exchange of land with the one land holder to other land holder. In addition he also entertain the gift or donation to be transfer with one land holder to other land holders. If any land holder to give land as gift or donation for the public proposes than he will records accordingly. Such all exchange permissions of the gift and donations after entertain in records by the orders, the final shape shall be given to the voluntary consolidation scheme.

Chapter IV

Enforcement Of The Scheme

Possession and accrual of compensation for trees, etc.

17. (1) The Settlement Officer, Consolidation, shall fix the date to be notified in the unit, from which the final consolidation scheme shall come into force. On and after the said date a tenure-holder shall be entitled to enter into possession of the plots allotted to him.
- (2) On from the date of obtaining possession every tenure- holder getting trees, wells, and other improvements existing on the plots allotted to him in pursuance, of the enforcement of the final consolidation scheme shall be liable, for the payment of and pay to the former tenure-holder thereof, compensation for the trees wells and other improvements allotted to him, to be determined in the manner hereinbefore provided.

New revenue records

- 18.** (1) As soon as may be, after the final consolidation scheme has come into force, the District Deputy Director of Consolidation shall cause to be prepared for each village, a new map filed book and record of rights in respect of the consolidation area, on the basis of the entries in the map as corrected under section 7 the Khasra Chakbandi, the annual register prepared under section 10 and the allotment, orders as finally made and issued in accordance With the provisions or this Act. The provisions of the U. P. Land Revenue Act, 1901 shall, subject to such modification as maybe prescribed, be followed in the preparation of the map and records.
- (2) All entries in the record of rights prepared in accordance with the provision of sub-section (1) shall be presumed to be true until the contrary is proved.
- (3) After the issue of notification under section 37, the Collector shall, instead of the map, field-book and record of rights previously maintained by him maintain the map, field-book and record of rights prepared in accordance with the provisions of sub-section (1) and the provisions of the U. P. Land Revenue Act, 1901 relating to the maintenance and correction of such map, field book and record of rights shall mutatis mutandis apply.

Delivery of possession

- 19.** (1) The Assistant Consolidation Officer on the application of the tenure-holder or the Land Management Committee, to whom chak or lands have been allotted under the final Consolidation scheme, may, and where any land has been allotted to the State Government shall, without any application off the State Government, within six months of the date on which the said scheme has come into force, put the tenure-holder or the Land Management Committee or the State Government, as the case may be, in actual physical possession of the allotted chak or lands, and for so doing shall have all the powers including powers as regards contempt, resistance and the like as are exercisable, by a Civil Court in execution of a decree for delivery of possession of immovable property;

Provided that the delivery of possession as aforesaid shall not affect the right of the person from whom possession is transferred to tend and gather the crops standing on such chaks or land or part thereof, on the date of the delivery, unless the Assistant Consolidation Officer decides, for reasons to be recorded that the possession over the crop also shall be delivered :

Provided further that the person tending and gathering the standing crop, in accordance with the first proviso, shall be liable may to the person, who has been allotted the chak, or lands, compensation for the use of the land at such rate and in such manner as may be prescribed.

- (2) On the expiry of six months from the date and which a tenure-holder or

Land Management Committee or State Government became entitled to enter into possession of the chak or lands allotted, whether before or after the coming into force of the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings (Amendment) Act, 1962, or on the expiry of six months from the date of the coming into force of that Act, whichever is later, the tenure holder in the Land Management Committee or State Government, as the case may be shall unless possession has been obtained earlier, be deemed to, have entered in to actual physical possession of the allotted chak of land :

Provided that the fact that a tenure-holder or the Land Management Committee or State Government has thus entered in possession shall not affect the right or the person from whom possession is deemed to have been transferred to tend and gather the crop standing on the chak or lads or part thereof, on the date of the expiry of the period of six months aforesaid.

- | | | |
|---|-------------|--|
| Compensation | 20. | <p>(1) Where possession over standing crops is also delivered under section 28, the Assistant Consolidation Officer shall determine in the manner prescribed, the compensation payable in respect of such crops by the tenure-holder put in possession.</p> <p>(2) Any person aggrieved by an order under sub-section (1), may within fifteen days of the date of the order, prefer an appeal before the Consolidation Officer, whose decision thereon, shall be final.</p> |
| Recoveries of compensation | 20-A | <p>(1) Where a tenure-holder from whom compensation is recoverable under this Act fails to pay the same within the period prescribed therefore, the person entitled to receive it, may in addition to any other mode of recovery open to him, apply to the Collector within such time as may be prescribed to recover the amount due on his behalf as if it were an arrear of land revenue payable to Government.</p> <p>(2) Where any compensation payable under this Act is not and whether in whole or in part within three months of the date of obtaining possession under section 17 or section 19, as the case may be interest at the rate of six per cent per annum shall be charged on the amount not so paid.</p> |
| Reduction of land revenue on account of contribution of land for public purposes | 20-B | <p>(1) Where, as a result of contribution for public purposes under the provisions of section 8-A, the area of the original holding of a tenure-holder is reduced, the land revenue payable for the holding shall be reduced by the Assistant Consolidation Officer, in the same proportion as the area so contributed bears to the original total area of the holding, and the reduced land revenue shall be shown in the provisional consolidation scheme.</p> <p>(2) A tenure-holder aggrieved by the reduction made under sub-section (1) may, within 15 days of the date, of publication of the provisional consolidation scheme under section 14 file an objection before the Assistant Consolidation Officer or the Consolidation Officer for getting</p> |

the reduction of the Land revenue determined in accordance with the provisions of Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950.

Compensation for land contributed by tenure-holders for public purposes

20-C

- (1) (a) Every tenure-holder any part of whose holding has been, contributed for public purposes under this Act, shall be paid, for the land so contributed, compensation equal to-
- (i) in the case of land of a bhumidhar with transferable rights, four times; and
 - (ii) in the case of the land of a bhumidhar with non-transferable rights two times of the land revenue reduced under section 29-B.
- (b) In the case of trees, wells and other improvements, falling within the land so contributed, the amount of compensation behalf be determined in accordance with the provisions of section 13.
- (2) The Compensation payable to a tenure-holder shall after adjustment of the cost of operations under this Act, if any be paid, to him in cash.
- (3) Where any land, in respect of which compensation is paid under-sub-section (1), is in occupation of, an, asami, there shall lie paid to the asami out of the compensation payable to the bhumidhar with transferable rights or bhumidhar with non-transferable rights as the case may be, an amount equal to 5 per cent of such compensation in respect of the right title and interest of the asami therein.

Vesting of and contributed for public proposes

20-D

- (1) The land contributed fur public purposes under this Act shall, with effect from the date on which the tenure-holders became entitled to enter into possession of the chaks allotted to them under the provisions of this Act as amended from time to time, vest and be always deemed to have vested in the Gaon Sabha in an area in which section 117 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 applies and in the State Government in any other area and shall be utilized for the purpose for which it was earmarked in the final consolidation of scheme, or in case of failure of that purpose, for such other purposes may be prescribed.
- (2) The provisions of section 117 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, shall mutatis mutandis apply to such land vested in the Gaon Sabha as if the land had vested in the Gaan Sabha by virtue of a declaration made by the State Government under sub-section (1) of that section and as if the declarations were made subject to the conditions respecting utilization specified in sub-section (1) of this section.

Consequences which shall ensue on exchange of possession

21.

With effect from the date on which a tenure-holder enters or is deemed to have entered in to possession of the chak allotted to him in accordance with the provisions of this Act, the far awing consequences shall ensue-

- (a) the rights title, interest and liabilities--

(i) of the tenure-holder entering or deemed to have entered, into possession; and

(ii) of the farmer tenure-holder of the plats comprising the chak, in their respective original holdings shall cease, and

(b) the tenure-holder entering into possession, or deemed to have entered into possession, shall have in this chak the same rights title interests and liabilities as he had in the original holdings together with such other benefits of irrigation from a private source till such source exists, as the farmer tenure-holder of the plots comprising the chak had in regard to them;

(c) land vested in the Gaon Sabha, or any local authority, and allotted to the tenure-holder shall be deemed to have been resumed by the State Government under the provisions of section 117 or section 117-A, as the case may be, of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 and settled with tenure-holder;

(d) the rights of the public as well as all individuals in or over land included in a chak following a declaration made under the proviso to sub-section (2) of section 13-A, shall cease and be created in the land specified for the purpose in the final consolidation scheme; and

(e) the encumbrance if any, upon the original holding at the tenure-holder entering, or deemed to have entered, into possession, whether by way of lease, mortgage or otherwise shall in respect of that holding, cease, and be created on the holdings, or on such part thereof, as may be specified in the final consolidation scheme.

Power to transfer holdings

22. A transfer, whether by exchange or otherwise of rights, title, interest and liabilities of tenure- holders in their holdings, involved, in giving effect to the final Consolidation Scheme affecting them, shall notwithstanding, anything contained in the U. P. Land Revenue Act, 1961 and the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 be valid and not tenure holder or other person shall be entitled to object or interfere with any such transfer.

Costs

23. (1) The State Government shall fix the amount of costs of the operations conducted, under the Act and shall recover from the tenure-holders of the unit such part thereof and in such manner as may be prescribed.
(2) If the State Government so decides it, may order that a specified amount be recovered in advance in the manner prescribed, as the first installment of the cost of the said operations.
(3) Any amount payable as costs under this section shall be recoverable as arrears of land revenue.

Power to enforcer attendance of witnesses and in certain Matters

24. The Director of Consolidation Land Deputy Director of Consolidation Settlement Officer, Consolidation Officer and Assistant Consolidation Officer shall have all such powers and rights' and privileges as are vested in a Civil Court on the occasion of any action; in respect of the following matters:

- (a) the enforcing of the attendance of witnesses and examining them on oath. affirmation or otherwise and the issue of a commission or request to-examine witnesses abroad;
- (b) compelling anyone for the production of any document;
- (c) the punishing of persons guilty of contempt and a summon signed by such officer may be substituted for and shall be equivalent to any formal process capable of being issued in any action by a Civil Court for enforcing the attendance of witnesses and compelling the production of document.

Power for production of documents, etc.

- 25.** (1) Subject to any conditions or restrictions that may be prescribed, the Director of Consolidation Deputy Director of Consolidation Settlement Officer Consolidation, Consolidation Officer, or Assistant, Consolidation Officer may, by written order require any person to produce such documents papers and registers or to furnish such information as .he may deem necessary for the proper exercise of his powers or the proper discharge of his duties under this Act.
- (2) Every person required to produce any document, paper or register or to furnish information under this section shall be deemed legally bound to do so within the meaning of sections 175 and 176 of the Indian Penal Code.

Proceedings before Director of Consolidation, Deputy Director of Consolidation, Settlement Officer Consolidation, Consolidation Officer and Assistant Consolidation Officer to be judicial Proceedings Powers of the consolidation authorities

26. A proceeding before a Director of consolidation, Deputy Director of Consolidation, settlement officer, consolidation, consolidation officer and assistant Consolidation officer shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of sections 193 and 228 and for the purposes of section 196 of the Indian Penal Code.

- 26.A** (a) The consolidation authorities shall be conferred powers of the Magistrate according the powers vested under section 1 to 11 of the CrPC.

- (b) **Challenge of order of the cheating-** If any order were made passed with cheating by a party of any considerable suit or proceedings or any consolidation court than such order may be challenge in this ground that the order is get by cheating to the aforesaid court or party but no believe may be made on the review of the cheating on the basic of presumption, for proof of the cheating the party shall essentially produce relevant evidence.
- (c) Self right to void consolidation court passed order on the basic of cheating or fraudantly- If any person were get order from the court with cheating or fradently then on the knowledge of actual facts the court selfly or by the request of the any aggrieved person. In such matters the consolidation authority may be exercise powers invested under section 151 of the Civil Procedure Code, 1908. No time limit is fixed for proceeding of any request letter for void of orders to be passed with the cheating. Any person whether he is not a party in the concerning proceedings on the intimation received by him of such order he can produce request letter within the appropriate time.

Application of U. P. Land Revenue Act, 1901	27.	Unless otherwise expressly provided by or under this Act, the provisions of Chapters IX and X of the U. P. Land Revenue Act, 1901, shall apply to all proceeding including appeals and applications under this Act.
Affidavits	27-A	Affidavits to be filed in any proceedings under this Act, including an appeal or revision shall be made in the same manner arid conform to the same requirements as affidavits filed under the Code of Civil Procedure, 1908 and may be verified by any officer or other person appointed by the High Court under, clause (b) or by an officer appointed by any other court under clause (c) of section 139 of the said Code.
Officer and Authorities	28.	<ul style="list-style-type: none"> (1) The State Government may appoint such authorities and officers, and for such areas as may be necessary to give effect to provisions of the Act. (2) The District Deputy Director of Consolidation may, subject to such directions as the director of Consolidation may, issue from time to time demarcate the circles to be assigned to Consolidation Lekhpals, Consolidators and other authorities appointed for the district under sub-section (1).
Correction of clerical arithmetical error	28-A	Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force if the Consolidation Officer or the Settlement Officer, Consolidation is satisfied that a clerical or arithmetical error apparent an the face of the record exists in any document prepared under any provision of, this Act, he shall, either on his awn motion or on the, application of any person interested, correct the same.
Delegation	29.	The State Government may by notification in the official Gazette and subject to such restrictions and conditions as may, be specified in the notification:-

		(i) delegate to any officer or authority any of the power conferred upon it by this Act ; and
		(ii) confer power of the Director of Consolidation, Deputy Director, Consolidation; the Settlement Officer, Consolidation and the Consolidation Officer under this Act or the rules made thereunder on any officer or authority.
Powers of subordinate authority to be exercised, by a superior authority	29-A	Where powers are to be exercised or duties to be performed under this Act of the rules made thereunder such powers or duties may also be exercised or performed by an authority superior to it.
Powers of officers to enter upon land for purposes of survey and demarcation	30.	The officer mentioned in this Act or any person acting under the orders of any one of them may, in the discharge of any duty under this act, enter upon arid survey land and erect survey marks, thereon and demarcate the boundaries thereof and do all other acts necessary for the proper performance of that duty.
Penalty for contravening provisions of section 5	30-A	(1) Any person contravening the provisions of section 4 (b) shall, a conviction by a court of competent jurisdiction, be liable, to a fine not exceeding rupees one thousand. (2) A transfer made in contravention of the provisions of section 4 (b) shall not be valid or recognized, anything contained in any other law for the time being in force to, the contrary notwithstanding.
Penalty for destruction, injury or removal of survey or boundary marks	31.	(1) If any person destroys willfully or injures or removes without law-full authority a survey or boundary mark lawfully erected, he may be ordered by a consolidation officer to pay such compensation not exceeding one thousand rupees for each mark so destroyed, injured or removed, as may in the opinion of that officer be necessary to defray the expenses of restoring the same and of rewarding the person, if any, who gave information of the destruction, injury or removal. (2) The order for the payment of compensation under sub-section (1), shall not bar a prosecution under section 434 of the Indian Penal Code.
Appeal etc. to be allowed by the Act	32.	No appeal and no application for revision shall lie from any order passed under the provisions of this Act except as provided by or under this Act.
Revisions and reference	33.	(1) The Director of Consolidation may call for and examine the record of any case decided or proceedings taken by any sub-ordinate authority for the purpose of satisfying himself as to the regularity of the proceedings, or as to the correctness, legality or propriety of any order other than an interlocutory order passed by such authority in the case or proceedings and may after allowing the parties concerned an opportunity of being heard, make such order in the case or proceedings as he thinks fit. (2) Power under sub-section (1) may be exercised by the Director of

Consolidation also on a reference under sub-section (3).

- (3) Any authority subordinate to the Director of Consolidation may after allowing the parties concerned an opportunity of being heard, refer, the record of any case or proceedings to the Director of Consolidation for action under sub-section (1).

Explanation (1)- For, the purposes of this section, Settlement Officers Consolidation, Consolidation Officers, Assistant Consolidation Officers, Consolidators and Consolidation Lekhpals shall be subordinate to the Director of Consolidation.

Explanation (2)- For the purposes of this section the expression interlocutory order in relation to a case or proceeding, means such order deciding any matter arising in such case or proceedings or collateral thereto as does not, have the effect of finally disposing of such case or proceeding.

Explanation (3)- Any decision in the write of purity, legality or interpretation of any order under this section whether by recorded facts by the subordinate authority or by legality and also be include review of any voice or recorded evidence.

Special provisions with respect to evacuee property

- 33-A** (1) Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this Act:-

(a) no decision of the Custodian (Evacuee Property thereinafter in this section referred to as the Custodian) in relation to title to any land vested in him as evacuee property under the provisions of the Administration of Evacuee property Act, 1950, shall be called in question and varied or reversed by any officer or authority under this act: and

(b) nothing in this Act, shall be construed as requiring the Custodian to stay any proceedings in relation to title to any such land pending before him on the date of the coming into force of those provisions of this Act under which proceedings in relation to title to land are required to be stayed or as empowering the consolidation officer or any other officer or authority to refer for determination of any question of title in relation to such land involved in any proceedings pending before the custodian on such date.

- (2) Where as a result of consolidation operations in any village-

(a) lands, which are vested as evacuee property in the Custodian under the provisions of, the Administration of Evacuee Property Act, 1950, are included in holdings which are not vested in the Custodian as evacuee property, such land shall. on and from the date, of the coming into force of the consolidation scheme cease to be so vested in the Custodian, and the provision of the said Act shall thereupon cease to apply in relation thereto; and

(b) in lieu of such lands, corresponding lands shall be included in holdings which are vested in the Custodian as evacuee property, and such lands shall, on and from the date of the coming into force of the consolidation scheme, be deemed to be evacuee property declared as such within the meaning of the aforesaid Act and be vested in the Custodian and the provision of the said Act shall thereupon apply, so far as may be, in relation to such lands.

Exchange of possession

33-B

- (1) Where change of possession becomes necessary amongst tenure-holders including the Land Management Committee of the circle as a result of orders passed under section 33, it shall be lawful for them to exchange possession amongst themselves in, accordance with such orders.
- (2) Where change of possession cannot be effected by mutual arrangement, the Assistant Consolidation Officer shall affect delivery of possession to such tenure-holders and the Land Management Committee in accordance with the provisions of section 19.

Bar to civil jurisdiction

34.

Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the declaration and adjudication of rights of tenure-holders in respect of land lying in an area, for which notification has been issued under sub-section (2) of section 3 or adjudication of any other rights arising out of consolidation proceedings and in regard to which a proceeding could or ought to have been taken under this Act, shall be done in accordance with the provisions of this Act and no civil or revenue court shall entertain any suit or proceeding with respect to rights in such land or with respect to any other matters for which a proceeding could or ought to have been taken under this Act;

Provided that nothing in this section shall preclude the Assistant Collector from initiating proceedings under section 122-B of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 in respect of any land possession over which has been delivered or deemed to be delivered to a Gaon Sabha under or in accordance with the provisions of this Act.

Protection of action taken under this Act or rules made thereunder

34-A

No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or rules made thereunder.

Exemption from court-fee

35.

No court-fee shall be payable on any application made or any document filed, with the exception of a Vakalatnama, in any suit or proceedings under the provisions of this Act.

Instrument not necessary to effect transfer

36.

Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no Instrument in writing shall be necessary for effecting a transfer of holdings involved in giving effect to a final consolidation scheme not shall any instrument, if executed, require registration.

Close of consolidation operations

37. (1) As soon as may be after fresh maps and records have been prepared under sub-section (1) of section 18, the State Government shall issue a notification in the official Gazette that the consolidation operations have been closed in the unit and the village or villages forming part of the unit shall then cease to be under consolidation operations;

Provided that the issue of the notification under this section shall not affect the powers of the State Government to fix distribute and recover the cost of operations under this Act.

- (2) The notification issued under sub-section (1) shall be published also in a daily newspaper having circulation in the area and in such other manner as may be considered proper.
- (3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), any order passed by a court of competent jurisdiction in cases of writs filed under the provisions of the Constitution of India, or in cases for proceedings pending under this Act on the date of issue of the notification under sub-section (1), shall be given effect to by such, authorities as may be prescribed and the consolidation operations shall, for that purpose be deemed to have not closed.
- (4) Where the allotment or lease of any land, made before the consolidation scheme becomes final under section 16, is cancelled by an order under sub-section (4), of section 198 of the Uttar Pradesh Zamindari abolition and Land Reforms Act, 1950 and such order becomes final then notwithstanding anything contained in the provision of this Act, such order shall be given effect to by such authorities, as may be prescribed in the following manner, and the consolidation operation shall for that purpose, be deemed to have not closed; namely-
- (a) the value of the land which was the subject matter of such allotment or lease shall first be ascertained in the manner prescribed ;
- (b) the value referred to in clause (a), shall be deducted from the total value of land allotted to the tenure-holder concerned during consolidation, proceedings;
- (c) the tenure-holder shall be entitled during consolidation proceeding to land equivalent in valuation of the said land.

Special provisions for Chak Roads and Chak Guls

- 37-A (1) In the case of a unit in relation to which a notification under sub-section (1) of section 37 has been issued before the commencement of the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings (Amendment) Act, 2015 the Collector may, if he is of opinion that there exists no provision or inadequate provision of chak roads or chak guls in the unit, and shall if a representation in that behalf by not less than ten per cent of the total number of tenure holders is made to him within six months of the said commencement proceed to take action under sub-section (2), anything to the contrary contained in section 37 notwithstanding.

- (2) The Collector shall cause a notice of the proposal to take action under this section and also of the representation, if any, received under sub-section (1) to be given in the unit by beat of drum and in such other manner, if any, as he thinks fit and direct any Consolidation Officer to inspect the locality and take reasonable steps to ascertain the wishes of the tenure-holders or as the case may be of such of them as have not joined in the representation, and to make such other inquiry into the matter as he thinks fit.
- (3) Such Consolidation Officer shall make a report to the Collector on the advisability or otherwise of drawing up a plan making provision or as the case may be, more adequate provision, for chak roads or chak guls in the unit, and the Collector on being satisfied after considering such report that it is necessary or expedient so to do, shall cause a draft plan to be prepared.
- (4) The Assistant Consolidation Officer shall thereupon, after ascertaining informally the wishes of as many tenure-holder a of the unit as he considers practicable, prepare a draft plan in the prescribed form proposing such provision or additional provision of chak roads or chak guls, as may be necessary. In preparing the draft plan the Assistant Consolidation Officer shall have regard to the following principles, namely-
 - (a) that as far as practicable, provision of chak roads and chak guls should be made primarily by utilising land vested in the Gaon Sabha and secondarily out of land held by those tenure holders whose chaks are connected with the proposed chak roads or chak guls and in the last resort, out of any other land:
 - (b) there arrangement of chak should be made only to the extent it is really necessary for making provision of chaks roads and chalk guls with minimum possible, dislocation in, the consolidation scheme already confirmed.
- (5) The draft plan prepared under sub-section (4) shall be published in the prescribed manner.
- (6) Any person affected by the draft plan may within 15 days from the date of such publication file an objection in writing before the Consolidation Officer.
- (7)
 - (a) The Consolidation Officer shall dispose of all objections after notice to the parties concerned:
 - (b) Any person aggrieved by the order of the Consolidation Officer under clause (a) may Within 15 days from the date of the order, file an appeal before the Settlement Officer, Consolidation, whose decision thereon shall be final.
 - (c) Before deciding the objections under clause (a), the

Consolidation Officer, and before deciding the appeal under clause (b), the Settlement Officer, Consolidation, may make a local inspection of the site in dispute after notice to the parties concerned.

(d) It shall be lawful, for reasons to, be recorded in writing, for the Consolidation Officer under clause (a) and the Settlement Officer, Consolidation under clause (b) to modify the draft plan in the settlement with the principles specified in sub-section (4) and for the Settlement Officer, Consolidation, to remand the same either to the Consolidation Officer or to the Assistant Consolidation Officer with such directions as he thinks fit.

- (8) The Settlement Officer, Consolidation, shall confirm the plan-
- (a) if no objections are filed within the time specified in sub-section (6);
or
 - (b) where such objections are filed, after the modifications or alternations as may be necessary in view of the orders passed oil objections and appeal under sub-section (7).
- (9) The plan confirmed under sub-section (8) shall be published in the unit in the prescribed manner and shall come into force on the date of such publication, and thereupon the consolidation scheme and the allotment orders made final under section 16 shall stand amended to the extent indicated in the plan, and fresh allotment orders shall be issued by the Settlement Officer, Consolidation accordingly.
- (10) The provisions of Chapter IV shall mutatis mutandis apply in relation to the said plan as they apply in relation to the final, consolidation scheme, and for the purposes of application of Chapter IV land contributed for chak roads and chak guls provided under this section shall be deemed to be land contributed for public purposes under section 8.

Mutal exchange of chaks between tenure-holders

- 38.** It shall be lawful for the Settlement Officer, Consolidation, at any stage of the consolidation proceedings but before the preparation of the final records under section 18, to allow mutual exchange of chaks, or part thereof by agreement between the tenure-holders, where he is satisfied that the exchange will improve the shape of chaks, or reduce their number and generally lead to greater satisfaction amongst them.

Recognition of consolidation scheme prepared by tenure-holders

- 38-A** (1) The Deputy Director of Consolidation may recognize a consolidation scheme in respect of a village within or without a consolidation area, prepared voluntarily by the tenure-holders of the village, where he is satisfied that it conforms to the broad principles of consolidation under this Act, and has support of all the tenure-holders concerned and is of her wise fair to all concerned.
- (2) The consolidation scheme recognized under sub-section (1) shall be deemed to have been prepared and confirm under the provisions of this

Act and shall be enforced thereunder.

- | | | |
|----------------------------|-------------|---|
| Limitation | 38-B | The provision of section 5 of the Limitation Act, 1963 shall apply to the application, appeals, revisions and other proceedings under this Act or the rules made thereunder. |
| Power to make Rules | 39. | <p>(1) The State Government may by notification in the Gazette make rules for the purposes of carrying into effect the provisions of this Act.</p> <p>(2) Without prejudice to the generality of foregoing power, such he may provide for :-</p> <ul style="list-style-type: none">(a) the form of notification under sub-section (2) of section 3 ;(b) the constitution of consolidation committee under clause (d) of section 2, determination of the terms of members of the Consolidation Committee and action to be taken on a vacancy occurring therein;(c) the procedure for the disposal of suits and proceedings stayed under sub –section (2) of section 3 ;(d) the condition to be observed by the Settlement Officer (Consolidation) in granting permission referred to in clause (c) of sub-section (1) of section 3, for transfer of holdings of in the consolidation area;(e) procedure relating to the revision of maps and records including declaration of rights, partition of joint-holdings, valuation of plots, determination and apportionment of compensation for wells, trees and other Improvements and the preparation and publication of the statement of principles under sections 7 to 11 and 12 ;(f) the determination of land revenue over new holdings and distribution thereof on the portions of old holdings under section 12-A ;(g) procedure relating to amalgamation of holding under section 12-B ;(g) the procedure and the manner relating to the preparation publication and confirmation of the. consolidation scheme under sections 13-A, 14 and 16;(i) the procedure and the manner of issue of allotment orders under section 16;(j) title procedure and the manner in which the views of the Consolidation Committee shall be obtained on matters specified for this purpose ;(k) the determination of the public purposes for which areas may be earmarked and the manner in which this shall be done ;(l) the matters relating to transfer of rights from the public land to other land earmarked for public purposes; |

(m) the procedure for entering into possession under sections 17 and 19;

(n) the procedure and the manner for determination of compensation to be paid to or recovered from any person under this Act;

(o) the circumstances and the matters which shall be taken into consideration in distributing the cost of consolidation, including the proportion in which the distribution may be made;

(p) the matters relating to the mode of service of notice or documents under this Act ;

(q) the procedure to be followed in all proceedings including applications and appeals under this Act ;

(r) the duties of any officer, or authority having jurisdiction under this Act and the procedure to be followed by such officer and authority;

(s) the time within which applications and appeals may be presented under this Act in cases for which no specific provision in that behalf has been made herein;

(t) imposing limits of time within which things to be done for the purposes of the rules must be done, with or without powers to any authority therein specified to extend limits imposed;

(u) the transfer of proceedings from one authority or officer to another; and

(v) any other matter which is to be or may be prescribed.

(3) All rules made under this section shall, as soon as may, after they are made, be laid before each House of the State Legislature, while it is in session, unless some later date is appointed, take effect from the date of their publication in the Gazette, subject to such modification or annulments as the two Houses of the Legislature may, during the said period agree to make so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.
